सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
के अंतर्गत
सूचना पुस्तिका

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
वेद विद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश,
पोस्ट-जवासिया, उज्जैन 456006 (म.प्र.)

दूरभाष: (0734) 2502266, 2502254, फैक्स : (0734) 2502253

ई-मेल : msrvvpujn@gmail.com, वेबसाइट : www.msrvvp.ac.in

परिचय

भारत सरकार इस तथ्य से चिन्तित थी कि गुरु शिष्य परम्परा के माध्यम से वेदों की जो श्रुति परम्परा थी, विभिन्न ऋषियों, आचार्यों और टीकाकारों द्वारा यथा विवीक्षित और प्रकट किए अनुसार वेदों के अर्थ को प्रकट करने की जो परिपाटी सहस्त्रों वर्ष से संरक्षित थी, उस श्रुति परम्परा में क्रमिक रूप से ह्रास हो रहा था।आचार्यों ने यह अनुभव किया कि प्रतिष्ठित राष्ट्रनेताओं, विद्वानों को इस दिशा में प्रवर्तित किया जाए कि वेदों के ऐसे अध्ययन का विस्तार करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए जो भारतीय धरोहर, सांस्कृतिक मूल्य से सहबद्ध रहते हुए वैदिक ज्ञान से सम्पृक्त करे जो आधुनिक ज्ञान के साथ सहक्रिया का सर्जन करे। इस संविमर्श के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का निर्णय किया, जिसका मुख्य ध्येय सम्पूर्ण देश में वेदों की मौखिक परम्परा, वेद गुरु-शिष्य परम्परा तथा वैदिक ज्ञान का उत्कर्ष करने पर रहे। तदनुसार राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान के रूप से विख्यात एक शीर्षस्थ स्वायत्तशासी संस्थान **का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन** 20 जनवरी 1987 को किया गया। दिल्ली में श्रावण पूर्णिमा के मांगलिक दिवस पर 10 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात वर्ष 1993 में इस संस्थान का नाम परिवर्तित करके महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान कर दिया गया तथा इसका मुख्यालय उज्जैन में स्थानांतरित कर दिया गया।

इस प्रतिष्ठान का सम्पूर्ण निधीयन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान (मसारावेविप्र) का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा यथा परिकल्पित लक्ष्यों तथा प्रतिष्ठान के लिए निर्धारित संस्थापन नियमावली में उल्लिखित है, जो इस प्रकार है कि प्रत्येक शाखा, गुरु शिष्य परम्परा और वैदिक ज्ञान के अनुसार वेदों की श्रुति परम्परा का संरक्षण, प्रचार-प्रसार करना तथा इसे लोकप्रिय बनाना है; साथ ही व्यक्ति और राष्ट्र के सम्यक विकास हेतु वेदों के अध्ययन और शोध तथा वैदिक ज्ञान के प्रयोगों हेतु वित्तीय सहायता के माध्यम से वेदों में प्राप्य ज्ञान को लोकप्रिय बनाना है ताकि यह आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ समानुरूपी बने।

यह प्रतिष्ठान समस्त देश में वेद पाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा (गुशिप) इकाइयों के माध्यम से वेद भूषण और वेद विभूषण पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। इन पाठ्यक्रमों को उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों ने मान्यता प्रदान की है।

आरटीआई की यह सूचना पुस्तिका जनसामान्य की जानकारी हेतु तैयार की गई है, जैसा कि भारतीय संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्रावधान है कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण अधीन सूचना की अभिप्राप्ति के लिए नागरिकों हेतु सूचना का अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था का निर्धारण किया जाए। इसमें सूचना का

अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन सभी अनिवार्य सूचना को समाविष्ट किया गया है।

यह सूचना पुस्तिका नागरिकों को सक्षम करेगी कि वे महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान का अभिशासन करने वाले विभिन्न नियमों और विनियमों में निहित प्रावधानों तथा संबंधित मामलों के विषय में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। यह सूचना पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार XVII मैन्युअलों में विभाजित है।

प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्, सचिव, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान आरटीआई मामलों के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। **श्री संजय श्रीवास्तव**, सहायक निदेशक, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान को इस प्रतिष्ठान के **केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)** के रूप में पदनामित किया गया है।

सीपीआईओ से संबंधित विवरण मैन्युअल – XVI में दिए गए हैं।

*****

मैनुअल I

धारा 4(1)(ख)(i)

संस्था, प्रकार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का XXII के मामले में, जो साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं धर्मार्थ सोसाइटी के पंजीकरण के लिए एक अधिनियम है, तथा महर्षि सन्दीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, एक सोसाइटी के मामले में, जिसे आगे "प्रतिष्ठान" कहा जाएगा।

1. **नाम** : संस्थान/सोसाइटी का नाम महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन होगा

2. **कार्यालय** : प्रतिष्ठान का पंजीकृत कार्यालय उज्जैन, मध्य प्रदेश में अवस्थित होगा।

3. **प्रतिष्ठान के उद्देश्य :**

प्रतिष्ठान की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई है:-

(i) वैदिक अध्ययन की श्रुति-परम्परा का संरक्षण, परिरक्षण और विकास, जिसके लिए प्रतिष्ठान विभिन्न कार्यकलाप प्रारम्भ करेगा, जैसे कि पारम्परिक वैदिक संस्थाओं और विद्वानों को सहायता, अध्येतावृत्तियाँ आदि देना और दृश्य तथा श्रव्य टेप की तैयारी।

(ii) विद्वानों और पण्डितों के माध्यम से सस्वर वेदपाठ की परम्परा को बल देना।

(iii) इस क्षेत्र में उच्चतर शोध में समर्पित विद्यार्थियों को प्रवृत्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना।

(iv) जिन विद्यार्थियों को वेदों के ज्ञान की गुणता है, उन्हें शोध की सुविधाओं का प्रावधान करना और उनमें पर्याप्त वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जिससे कि वेदों में जो आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान है, विशेष रूप से गणित, खगोलशास्त्र, मौसमविज्ञान, रसायनशास्त्र, द्रवचालिकी (हाइड्रोलिक्स) आदि के बारे में, उसका तादात्म्य आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलोजी से स्थापित किया जाए और साथ ही विद्यार्थियों और आधुनिक विद्वानों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जा सके।

(v) देश भर में वैदिक पाठशालाओं/शोध केन्द्रों की स्थापना, उनका अधिग्रहण, प्रबन्ध चलाना या उनका पर्यवेक्षण या प्रतिष्ठान के किसी भी उद्देश्य के लिए उनका संचालन या भरण-पोषण करना।

(vi) जो भी वेद से सम्बन्धित धर्मस्व या न्यास बन्द हो चुके हैं या ठीक ढंग से नहीं चलाए जा रहे हैं, उनको पुनः उज्जीवित करना और उनका प्रबन्ध चलाना।

(vii) उन शाखाओं की ओर विशेष ध्यान देना जो लुप्त हो रही हैं, जिनके मानव-मात्र पहचाने जा सकते हैं और इन शाखाओं से सम्बन्धित पण्डितों की व्यापक सूची तैयार करना।

(viii) यह पता लगाना कि वेदों की श्रुति-परम्परा में विशेष प्रकार के सस्वर पाठ कौन-कौन से हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों, संस्थाओं और मठों में प्रचलित हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है।

(ix) वैदिक शाखाओं की विभिन्न उच्चारण परम्पराओं के बारे में यह जानकारी एकत्रित करना कि मूल-पाठ की सामग्री, छपी हुई पाण्डुलिपियाँ, टीकाएँ और भाष्य उपलब्ध हैं या नहीं।

(x) देश में जो दृश्य या श्रव्य रिकार्ड उपलब्ध हैं, उनके बारे में जानकारी सङ्कलित करना।

(xi) वैदिक युग के आरम्भिक काल से लेकर वर्तमान तक वैदिक मूलपाठ और वैदिक साहित्य में निहित वैज्ञानिक ज्ञान, जिनमें विज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी, दर्शन-शास्त्र, योग, शिक्षा, काव्यशास्त्र, व्याकरण, भाषाविज्ञान और वैदिक परम्परा के क्षेत्र सम्मिलित हैं, की उन्नति हेतु अनुसन्धान करना और इसके लिए ग्रन्थालय, शोध उपस्कर, अनुसन्धान सुविधाएँ, आलम्बन स्टाफ तथा तकनीकी जनशक्ति का प्रावधान करना।

(xii) ऐसे सारे कार्यकलाप प्रारम्भ करना, जो प्रतिष्ठान की संस्थापना नियमावली में दिए गए सारे उद्देश्यों या किसी एक की पूर्ति के लिए आवश्यक, आनुषङ्गिक या सहायक हैं।

(लिंक : https://msrvvp.ac.in/MoA_As_on_Date.pdf)

4. प्रतिष्ठान की शक्तियां एवं प्रकार्य

प्रतिष्ठान की शक्तियां और प्रकार्य अधोलिखित होंगे:

(i) इतनी राशि का कॉर्पस तैयार करना, जिससे प्राप्त वार्षिक आय का उपयोग उपर्युक्त सभी उद्देश्यों के लिए किया जा सके;

(ii) प्रतिष्ठान की सभी या किसी भी कार्यकलाप, कार्यक्रम,योजना, प्रयोजन आदि के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य स्त्रोतों से अनुदान प्राप्त करना;

(iii) प्रतिष्ठान के कार्यों के संचालन के लिए नियम और उपनियम बनाना तथा यथासमय उन सभी या किसी को संशोधित, परिवर्तित या निरस्त करना, ताकि प्रतिष्ठान को उपहार, भूमि एवं भवन की वसीयतें तथा उनसे होने वाली सभी आय स्वीकार करने में सक्षम बनाया जा सके, बशर्ते ऐसे संशोधनों के कारण किसी भी प्रकार का मूल्यह्रास बनाए जा रहे कॉर्पस में नहीं हो;

(iv) प्रदत्त या ईप्सित सेवाओं के लिए ऐसे शुल्क एवं अन्य प्रभार निर्धारित करना, मांग करना या भुगतान करना, जैसा कि प्रतिष्ठान के नियमों और उपनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;

(v) स्थापित किए जाने वाले कॉर्पस से आय अथवा अर्जनों में से व्यय करना: बशर्ते इस कॉर्पस में किसी प्रकार का सम्यक अथवा आंशिक मूल्यह्रास नहीं होने पाए;

(vi) ऐसी समिति या समितियों का गठन करना, जिन्हें वह उचित समझे;

(vii) पूर्वोक्त रूप से गठित किसी समिति या किसी अन्य व्यक्ति को, निर्धारित शर्तों के अधीन, आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित करना;

5. **प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं**

(क) वेद पाठशालाओं/ वेद विद्यालयओं को वित्तीय सहायता:

प्रतिष्ठान इस योजना के अंतर्गत वेद एवं आधुनिक विषय के अध्यापकों को मानदेय, छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आकस्मिक अनुदान के माध्यम से वेद पाठशालाओं/विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) वैदिक उच्चारण की श्रुति परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के अंतर्गत गुरु शिष्य परम्परा (गु .शि.प) इकाइयों को वित्तीय सहायता

प्रतिष्ठान गुरु शिष्य परम्परा इकाइयों में वेद अध्यापकों को "वेदों की श्रुति परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने" हेतु मानदेय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जो प्रतिष्ठान के संस्थापना नियमावली में परिलक्षित उद्देश्यों में से एक है।

(ग) संगोष्ठियों का आयोजन

देश के विभिन्न भागों में वैदिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिष्ठान द्वारा संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

(घ) वैदिक सम्मेलनों का आयोजन

वैदिक सम्मेलन प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा देश में वैदिक अध्ययन एवं वैदिक ज्ञान को जनप्रिय बनाने का साधन हैं।

(ङ) प्रकाशन

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिष्ठान का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्रकाशन है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वैदिक साहित्य से सम्बन्धित अप्राप्य एवं दुर्लभ ग्रन्थों का पुनर्मुद्रण एवं प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संगोष्ठियों व कार्यशालाओं में प्रस्तुत किए गए शोध पत्रों एवं तत्संबंधी कार्यवाही का भी प्रकाशन किया जाता है। प्रतिष्ठान आईएसएसएन संख्या 22308962 के अंतर्गत "**वेदविद्या**" नामक एक मूल्यांकित शोध-पत्रिका प्रकाशित करता है, जिसमें वेद विषयक उत्कृष्ट शोध पत्र/लेख हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत में प्रकाशित किए जाते हैं, ताकि विद्वान एवं जनमानस दोनों इसका लाभ उठा सकें।

शोध पत्रिका के अलावा प्रतिष्ठान द्वारा 'वेदावर्त' नामक त्रैमासिक वार्तापत्र (न्यूजलेटर) भी प्रकाशित किया जाता है।

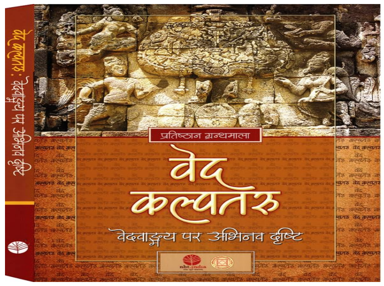

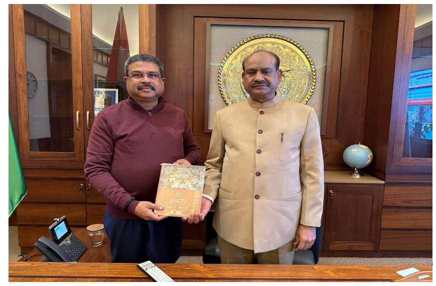

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन द्वारा लिखित प्रतिष्ठान के वर्तमान प्रकाशन 'वेद कल्पतरु' (जिसमें अर्थ सहित 500 से अधिक वैदिक मंत्रों, वेदों के बारे में वृहत जानकारी उपलब्ध हैं) की एक प्रति राज्य सभा के सभी माननीय सदस्यों को फरवरी 2024 में उपलब्ध कराई गई थी।

(च) पत्राचार पाठ्यक्रम: *घर बैठे वेदों की शिक्षा*

प्रतिष्ठान द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम "घर बैठे वेदों की शिक्षा" संचालित किया जाता है। सफल अभ्यर्थियों को "वेद निपुण" प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य जनमानस में वैदिक ज्ञान का प्रसार करना है।

(छ) वयोवृद्ध वेदपाठियों एवं नित्याग्निहोत्रियों को वित्तीय सहायता

प्रतिष्ठान द्वारा वयोवृद्ध वेदपाठियों, जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं तथा दिव्याङ्ग वेदपाठियों एवं नित्याग्निहोत्रियों को 5000/- रुपए प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ज) सभी के लिए वैदिक कक्षाएं

वैदिक ज्ञान एवं तत्संबंधी जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिष्ठान ने एक व्यवस्थित कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत वैदिक अध्ययन में अभिरुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों हेतु, भले ही उनकी अर्हता अथवा योग्यता कुछ भी हो, वैदिक कक्षाओं का संचालन किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार और रविवार को वेदों के विशिष्ट विषयों पर कुल 100 व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं।

(झ) सभी के लिए वैदिक कक्षाएं – भरतपुरी परिसर

वर्ष 2018-19 से प्रतिष्ठान अपने भरतपुरी परिसर में सभी के लिए वैदिक कक्षाएं संचालित कर रहा है। ये कक्षाएं नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को आयोजित की जाती हैं, जो वैदिक शास्त्रों को सीखने तथा समझने के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

(ञ) वेद ज्ञान सप्ताह समारोह :

देश के लोगों को वेद, वैदिक ज्ञान एवं भारतीय संस्कृति के बारे में जाग्रत करने के लिए, प्रतिष्ठान द्वारा संस्थाओं या प्रख्यात विद्वानों की समिति के सहयोग से वेद ज्ञान सप्ताह समारोह का आयोजन किया जाता है।

(ट) सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या पुरस्कार (यथातिथि होल्ड पर):

प्रतिष्ठान की "सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या पुरस्कार" नामक एक पुरस्कार योजना है, जिसमें 1,00,000/- रुपए की पुरस्कार राशि है, जो वैदिक अध्ययन एवं वेदांग साहित्य में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने, पांडुलिपियों के संपादन, वेद, वैदिक संस्कृति में अनुसंधान तथा दुर्लभ वैदिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए एक विद्वान को प्रदान की जाती है।

प्रतिष्ठान का विगत चार वर्षों अर्थात् 2013, 2014, 2015 और 2016 के लिए यह पुरस्कार वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदान करने का उद्देश्य है, जिसके लिए पूरे देश में समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन/नामांकन पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं।

इसी अनुक्रम में, प्रतिष्ठान की शासी परिषद ने ऋषियों, आचार्यों आदि के विभिन्न नामपद्धति के साथ पुरस्कारों की संख्या बढ़ाकर 16 (11 वरिष्ठ और 5 कनिष्ठ) करने का निर्णय लिया है एवं वर्ष 2017 से पुरस्कार राशि बढ़ाकर 5.00 लाख रुपए (वरिष्ठ के लिए) और 1.00 लाख रुपए (कनिष्ठ के लिए) करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ठ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैदिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार

प्रतिष्ठान सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में वैदिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजन की प्राप्ति हेतु क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में वैदिक सम्मेलन एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन विद्वानों एवं उत्साही लोगों हेतु वैदिक व्याख्यान में सम्मिलित होने के लिए मंच के रूप में काम करते हैं। इस पहल का प्रयोजन वैदिक मनीषिता की समझ को संरक्षित करना, प्रचारित करना तथा समृद्ध करना है। इन प्रयासों के माध्यम से, प्रतिष्ठान वैदिक परंपराओं के बारे में अधिक जागरूकता एवं व्यावृत्ति को बढ़ावा देता है।

असम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा में वेद विद्यालयों और गु.शि.प. इकाइयों की स्थापन।

अधोलिखित वैदिक पाठशालाएं और गुरुशिष्य परम्परा इकाइयां पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और उन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:

(i) गुवाहाटी, शोणितपुर एवं माजुली (असम) में क्रमशः 03 वेद पाठशालाएँ।

(ii) असम में 18 गु.शि.प इकाइयां।

(iii) अगरतला (त्रिपुरा) में 01 वेद पाठशाला।

(iv) संतोलाबारी और कांगपोकपी (मणिपुर) में क्रमशः 02 वेद पाठशालाएँ।

(v) मणिपुर में 01 गु.शि.प इकाई।

(vi) पचेखानी, सिक्किम में 01 वेद पाठशाला।

(vii) सिक्किम में 03 गु.शि.प इकाइयाँ।

(viii) नागालैंड में 01 गु.शि.प इकाई ।

(ड) मसारावेविप्र परिसर में राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना

दिनांक 14 दिसम्बर 2017 तथा दिनांक 24 मई 2018 को आयोजित शासी परिषद् की बैठक में प्रतिष्ठान द्वारा तैयार किए गए नीति-दिशा निर्देश का अनुमोदन किया गया जिसके अनुसार राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय पूर्ण रूप से संविदात्मक माडल के आधार पर संचालित किए जाएंगे। तदनुसार राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का प्रतिष्ठान परिसर में दिनांक 27 सितम्बर 2018 को प्रतिष्ठान के तत्कालीन अध्यक्ष माननीय मानव संसाधन एवं विकास मन्त्री श्री प्रकाश जावडेकर जी के द्वारा शुभारम्भ किया गया।

(ढ) देश के पाँच क्षेत्रों में पाँच नए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों की स्थापना

शिक्षा मंत्रालय ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रा.आ.वे.वि, उज्जैन के अतिरिक्त 5 राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय (रा.आ.वे.वि) स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

वर्तमान में छह रा.आ.वे.वि हैं:

- उत्तराखंड में बद्रीनाथ (उत्तर) में,
- मध्य प्रदेश में उज्जैन (मध्य) में,
- कर्नाटक में श्रृंगेरी (दक्षिण) में,
- गुजरात में द्वारका (पश्चिम) में,
- ओडिशा में पुरी (पूर्व) में एवं
- असम में गुवाहाटी (उत्तर-पूर्व)

रा.आ.वे.वि में चारों वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद) की सभी शाखाओं के साथ-साथ विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वैदिक गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी आदि जैसे आधुनिक विषयों को पढाने की सुविधा होगी। इससे वेद के छात्रों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण मिलेगा, जो रा.आ.वे.वि के लक्ष्य के अनुरूप आदर्श नागरिक तैयार करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। रा.आ.वे.वि गुणवत्तापूर्ण वेद एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की एक मिश्रित पद्धति होगी। इससे सम्पूर्ण देश में वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक एवं शोध विस्तार में भी सहायता मिलेगी।

(ण) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (मसारावेसंशिबो) की स्थापना

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने प्रतिष्ठान के संस्थापना नियमावली के नियमों के अंतर्गत नियम 14 (iv) (एफ) के तहत "महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (मसारावेसंशिबो)" के नाम से एक बोर्ड की स्थापना की है। बोर्ड के सदस्यों की सूची इस प्रकार है:-

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सदस्यों की सूची

1.	उपाध्यक्ष, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)	अध्यक्ष
2.	दो वेद विशेषज्ञ - शासी परिषद् द्वारा नामित	सदस्य
	2.1 श्री वेंकट रमण घनपाठी, ट्रस्टी, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, वाराणसी	
	2.2 श्री महाबलेश्वर भट्ट, प्राचार्य, वेद विज्ञान गुरुकुलम्, बेंगलुरू	
3.	एक संस्कृत विषय विशेषज्ञ : शासी परिषद् द्वारा नामित	
	3.1 श्री चमू कृष्ण शास्त्री अध्यक्ष, भारतीय भाषा समिति	सदस्य
4.	एक शिक्षाविद् - शासी परिषद् द्वारा नामित	
	4.1 प्रो. दुसी रामकृष्ण राव निदेशक, विज्ञान विहार एजुकेशनल सोसाईटी, गुडिलोवा, विशाखापट्टनम्, (आन्ध्र प्रदेश)	सदस्य
5.	एक केन्द्रीय वित्तपोषित संस्कृत विश्वविद्यालय के एक कुलपति, शासी परिषद् से नामित	
	5.1 प्रो. जी.एस.आर. कृष्णमूर्ति कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव,भाषा प्रभाग,शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार या उनके द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव,माध्यमिक और स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामित व्यक्ति	सदस्य
8.	सचिव, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)	सदस्य सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (म.सा.रा.वे.सं.शि.बो) की बैठकें

म.सा.रा.वे.सं.शि बोर्ड की प्रथम बैठक (दिनांक 28.11.2023 को आयोजित)

म.सा.रा.वे.सं.शि बोर्ड की प्रथम बैठक में लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:

(1) प्रथम बैठक मे म.सा.रा.वे.सं.शिक्षा बोर्ड के मूल उद्देश्यों, आर्थिक स्त्रोत, बोर्ड की अर्थव्यवस्था, बोर्ड की परीक्षाओं से प्राप्त शुल्कों, संबद्धता शुल्क एवं भारत सरकार द्वारा यदि कोई बजट राशि प्रदत्त /प्रदेय हो, पर विधिवत चर्चा कर बोर्ड को स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु निर्णय लिया गया।

(2) देश के विभिन्न अनुदानित एवं अनुदानरहित वेदपाठशालाओं / गुरु शिष्य परंपरा इकाइयों को म.सा.रा.वे.सं.शिक्षा बोर्ड, उज्जैन से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के परिपेक्ष्य मे संबद्धता उपनियम का पालन, द्वि-संबद्धता का वर्जन, संबद्धता प्रदान करने हेतु महत्त्वपूर्ण अभिलेख शुल्क एवं वार्षिक सम्बद्धता का प्रावधान, समिति द्वारा निरीक्षण इत्यादि जैसे दिशानिर्देश दिए गए। साथ ही बोर्ड से सम्बद्ध वेदपाठशालाओं / गुरु शिष्य परंपरा इकाइयों मे अध्ययनरत छात्रों एवं बाह्य छात्रों की बोर्ड की वार्षिक एवं पूरक परीक्षा हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गई।

(3) भारत मे संचालित ऐसी संस्कृत वेदपाठशालाओं / संस्थाओं जिनके पास किसी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था / बोर्ड के समकक्ष परीक्षाओं मे सम्मिलित होने हेतु सरकार द्वारा मान्य व्यवस्था नही है उनकी सम्बद्धता तथा इनमे अध्ययनरत छात्रों को बोर्ड से पंजीकृत करने हेतु निर्णय लिया गया।

(4) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान , उज्जैन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के आधार पर बनाए गए वैदिक एवं सहगामि आधुनिक विषयों के पाठ्यक्रमों को बोर्ड की स्वीकृत प्राप्त हुई।

(5) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन द्वारा संचालित 11 कौशल विकास एवं उद्यमिता हेतु वेद संबंधी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त होने को अभिलेखित किया गया।

म.सा.रा.वे.सं.शि बोर्ड की द्वितीय बैठक (दिनांक 06.05.2024 को आयोजित)

म.सा.रा.वे.सं.शि बोर्ड की द्वितीय बैठक में लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:

(1) बोर्ड ने प्रस्ताव पर गहन चिन्तन के उपरान्त यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं योग अभ्यास हेतु सभी संसाधन उपलब्ध होने पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 से वेदविभूषण प्रथम वर्ष (कक्षा-11) एवं वेदविभूषण द्वितीय वर्ष (कक्षा-12) में अतिरिक्त ऐच्छिक प्रत्र के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अनुप्रयोग/योग विज्ञान/वैदिक गणित में से एक पत्र को छठे पत्र के रूप में अध्यापन कराने एवं मसारावेविप्र/मसारावेसंशिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही बोर्ड ने राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों में वेदविभूषण प्रथम वर्ष (कक्षा-11) एवं वेदविभूषण द्वितीय वर्ष (कक्षा-12) में भारतीय ज्ञान

परम्परा पत्र में 20 अंक के प्रायोगिक विषय के रूप में- यज्ञविद्या/वैदिक पर्यावरण विज्ञान/वैदिक कृषि में से एक को अनुप्रयोग रूप में अध्ययन कराने एवं मसारावेविप्र/मसारावेसंशिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान किया।

(2) बोर्ड के उपनियम के अनुच्छेद क्रमांक 16 (1) अध्याय 6 के अनुपालन में बोर्ड के विविध गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु विविध समितियों का गठन एवं समिति सदस्य नामित करने की स्वीकृति प्रदान की। इस सम्बन्ध में योग्य विद्वानों के नाम सुझाव हेतु सभी माननीय सदस्यों को एक पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया जाए तथा उन नामों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाए जिससे विविध समितियों का गठन बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त किया जा सके। गठित की जाने वाली समितियों का विवरण इस प्रकार है :

(क) सम्बद्धता समिति

(ख) पाठ्यक्रम / शैक्षणिक समिति प्रत्येक शाखा के लिए पृथक-पृथक

(ग) परीक्षा समिति

(घ) परीक्षा परिणाम एवं अनुशोधन समिति।

(3) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड के द्वारा संस्कृत प्रथमा (8वीं), संस्कृत पूर्व-मध्यमा (10वीं) एवं संस्कृत उत्तर मध्यमा (12वीं) अथवा प्राक्शास्त्री (12वीं) परीक्षा हेतु विविध पाठशालाओं की सम्बद्धता एवं परीक्षा संचालन हेतु 2024-25 शैक्षिक वर्ष से कार्य किया जाना है। इसलिए इन परीक्षाओं का बोर्ड द्वारा संचालन एवं मान्यता हेतु शिक्षा मंत्रालय से आदेश पारित कराना है तथा इन परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पाठशालाओं की सम्बद्धता प्रदान करना है। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में एवं विविध राज्यों में संचालित संस्कृत पाठशालाओं की सम्बद्धता के विषय में चर्चा एवं संस्तुति हेतु एक उपसमिति गठित कर कार्य किया जाना है।

बोर्ड की उपसमिति इस प्रकार रहेगी :

(क) बोर्ड के अध्यक्ष महोदय

(ख) श्री चमूकृष्ण शास्त्री

(ग) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के तीन कुलपति महोदय

(घ) प्रो. दूसी रामकृष्ण राव

यह उपसमिति बोर्ड की संस्कृत पाठशाला व्यवस्था के लिए आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था हेतु भी संस्तुति प्रदान करेगी।

(4) माननीय बोर्ड सदस्यों ने मसारावेविप्र एवं मसारावेसंशि बोर्ड द्वारा आयोजित आधुनिक विषयों की लिखित परीक्षा की उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रति उत्तरपुस्तिका पुनर्मूल्यांकन हेतु शुल्क 300/- रूपए प्राप्त कर पुनर्मूल्यांकन विशेषज्ञ से कराना है।

(5) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्चुअल स्टोर-हाउस के माध्यम से जो हर छात्र के वर्षानुसार शैक्षणिक गतिविधियों का रिकॉर्ड-शैक्षणिक क्रेडिट रखने की स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए मसारावेसंशि बोर्ड से सम्बद्ध पाठशाला / इकाई को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में पंजीयन उपरान्त छात्रों को सुविधा हेतु ABC में संयोजनीयता हेतु आगामी शैक्षणिक सत्र से व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया।

म.सा.रा.वे.सं.शि बोर्ड की तृतीय बैठक (दिनांक 10.02.2025 को आयोजित)

म.सा.रा.वे.सं.शि बोर्ड की तृतीय बैठक में लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है: :

बोर्ड के (पदेन) सचिव ने माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों को उक्त विषय से अवगत कराया। तदुपरांत बोर्ड ने यह निर्देश दिया कि देश में संचालित ऐसे संस्कृत विद्यालय / पाठशालाएं जो किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के बोर्ड से सम्बद्ध अथवा मानित नहीं है उन्हे म.सा.रा.वे.सं. शिक्षा बोर्ड से मान्यता दी जा सकती है किन्तु इस संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखकर इनकी परीक्षाओं का बोर्ड द्वारा संचालन, समकक्षता एवं मान्यता हेतु अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। बोर्ड ने इसके साथ यह भी निर्देशित किया कि ऐसी संस्कृत पाठशालाओं को बोर्ड द्वारा किसी भी तरह का अनुदान देय नहीं होगा। महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन केवल परीक्षाओं को संचालित करता है तथा अनुदान देने का कार्य बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता है। बोर्ड द्वारा अनुमत । प्रचलित समकक्ष मान्यता यह है पूर्व मध्यमा /8 वीं कक्षा, मध्यमा / 10 वीं कक्षा, उत्तर मध्यमा/ प्राक् शास्त्री /12 वीं कक्षा । साथ ही आधुनिक कक्षा का भी उल्लेख किया जाना है।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड को मान्यता

अ. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08.09.2022 के अपने पत्र सं.3-14/2018-Skt.I के माध्यम से महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (मसारावेसंशिबोर्ड) को एक नियमित विद्यालय बोर्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है। तदनुसार, मसारावेसंशिबोर्ड द्वारा प्रदत्त वेद भूषण पंचम वर्ष (कक्षा 10वीं) और वेद विभूषण द्वितीय वर्ष (कक्षा 12वीं) प्रमाणपत्र हमारे देश में स्थित उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और केन्द्र / राज्य सरकारों के संस्थानों/निकायों में रोजगार के प्रयोजन से भारत के अन्य केन्द्र/राज्य विद्यालय बोर्डों द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्रों के समतुल्य हैं।

(लिंक 1:https://msrvvp.ac.in/Board_letter_from_ME_MOE.pdf;

लिंक 2: https://www.education.gov.in/national-boards)

आ. भारतीय विश्वविद्यालय संगठन द्वारा मान्यता

भारतीय विश्वविद्यालय संगठन ने 3 अगस्त 2022 के अपने पत्र सं. AIU/EV/ IN(I)2022/ MSRVSSB के माध्यम से मसारावेसंशिबोर्ड की परीक्षाओं/अर्हताओं/पाठ्यक्रमों को भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों / पाठ्यक्रमों में प्रवेश

के लिए और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन रोजगार के प्रयोजन से केन्द्र / राज्य विद्यालय बोर्डों के 10वीं और 12वीं बोर्ड/माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं/अर्हताओं/पाठ्यक्रमों के समतुल्यता प्रदान की है।

(लिंक 1: https://msrvvp.ac.in/AIU-Letter.pdf ;

लिंक 2: https://msrvvp.ac.in/Equivalence_Letter_from_AIU_250124_214435.pdf)

इ. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दिनांक 13-09-2022 के अपने परिपत्र सं. AICTE/P&AP/Misc/2022 के माध्यम से मसारावेसंशिबोर्ड की स्थापना को मान्यता प्रदान की है और मसारावेसंशिबोर्ड, उज्जैन द्वारा संचालित 10वीं ओर 12वीं ग्रेड की बोर्ड परीक्षा / अर्हता/ पाठ्यक्रमों को भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों / पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन रोजगार के प्रयोजन से भारत के अन्य केन्द्र/राज्य विद्यालय बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षा/अर्हता के समतुल्यता प्रदान की है।

वेद भूषण अर्थात पंचम वर्ष (10 वीं कक्षा) और वेद विभूषण अर्थात सप्तम वर्ष (12वीं कक्षा) हेतु बोर्ड की अंक तालिका विद्यार्थियों को 2022-23 से जारी किए जा रहे हैं।

(लिंक: https://msrvvp.ac.in/Circular_paP_220924_115837.pdf)

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 3 सितम्बर 2024 के अपने पत्र अ.शा. सं. 14-2/2023(CPP-II) (C-133004) के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों से अनुरोध किया था कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और केन्द्र/राज्य सरकारों के संस्थानों में रोजगार के प्रयोजन से अन्य केन्द्र/राज्य विद्यालय बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षा/अर्हता/पाठ्यक्रमों के साथ महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान (मसारावेविप्र) के अधीन महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (मसारावेसंशिबोर्ड), उज्जैन द्वारा संचालित 10वीं और 12वीं ग्रेड की बोर्ड परीक्षा/अर्हता/पाठ्क्रमों की समतुल्यता के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 8 अगस्त 2022 के कार्यालय ज्ञापन का ध्यान रखने और इसके अनुसरण में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

(लिंक : https://msrvvp.ac.in/ugc_recognition.pdf)

(त) **स्वीकृत नवीन कार्यक्रम:**

प्राधिकरणों द्वारा निम्नलिखित नए कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई है:

1. वेद पारायण योजना- 2018-19 से स्वीकृत।
2. म.सा.रा.वे.वि.प्र. प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन के परिसर में वेद संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

3. शासी परिषद् के निर्णय के अनुसार, 2018-19 से म.सा.रा.वे.वि.प्र के परिसर में शोध केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रकाशन, शोध कार्य, वीडियो रिकॉर्डिंग, वैदिक निर्देशिका का निर्माण जारी है तथा वेद के प्रचार-प्रसार के लिए वैदिक संग्रहालय बनाया जाएगा।

4. वेदों के प्रचार प्रसार हेतु वेद पाठशालाओं और गुरु शिष्य परम्परा इकाइयों के वेद अध्यापकों /छात्रों तथा प्रतिष्ठान के अन्य विद्वानों के लिए वेद संदेश यात्रा।

5. वेद विकृतियों के अध्ययन हेतु एक वर्षीय विकृति पाठ योजना।

6. वेद उत्सव के अंतर्गत वेद से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

7. महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान (मसारावेविप्र) का स्थापना दिवस अगस्त में श्रावणी पूर्णिमा पर आयोजित किया जाएगा।

6. संगठनात्मक और प्रशासनिक चार्ट

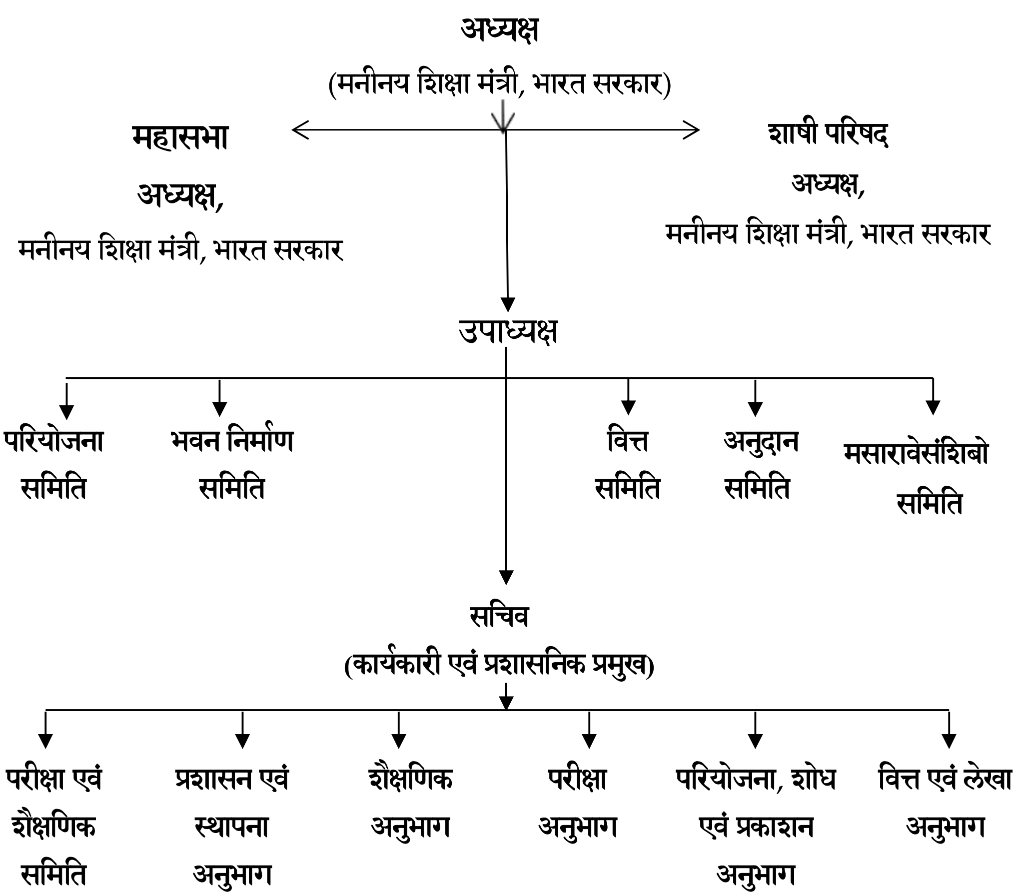

प्रतिष्ठान की प्रशासनिक व्यवस्था

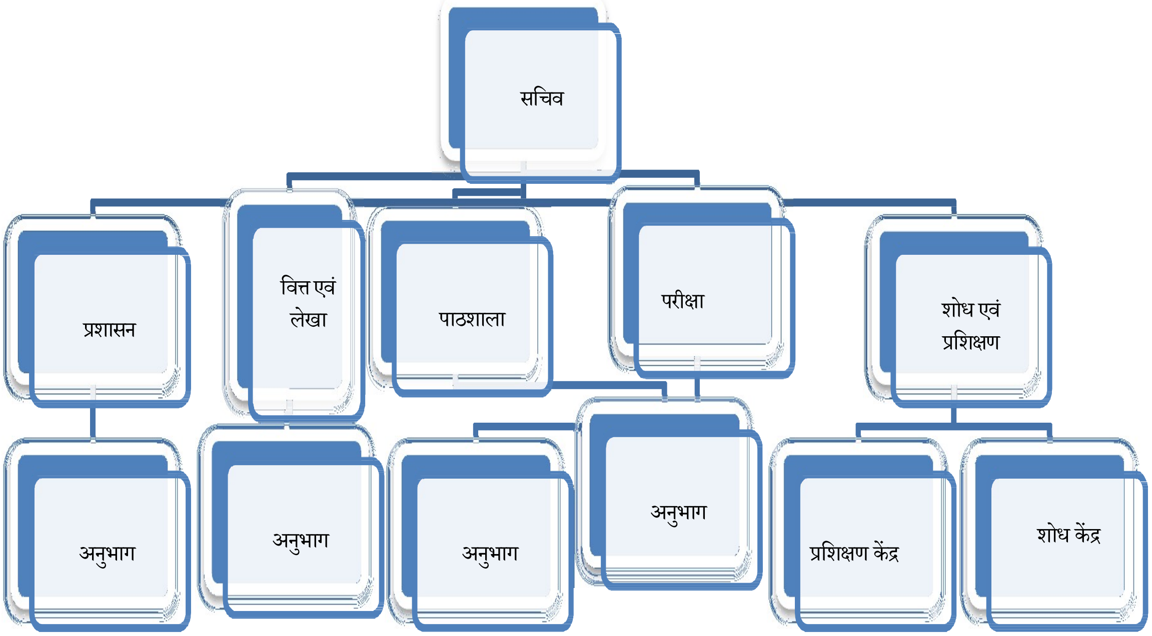

टिप्पणी : 1. प्रत्येक अनुभाग एक सहायक निदेशक को तथा वित्त एवं लेखा अनुभाग लेखा अधिकारी को समादिष्ट किया गया है।

2. दिनांक 06.03.2025 तक उप निदेशक के दो पद रिक्त हैं।

1. सेवा परिदान एवं लोक शिकायत के अनुवीक्षण के लिए उपलब्ध कियाविधि

प्रतिष्ठान की विभिन्न कार्यकलापों का अनुवीक्षण प्रमुख शैक्षणिक एवं कार्यकारी अधिकारी के रूप में सचिव महोदय द्वारा तथा पदनामित प्राधिकारियों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है। प्रतिष्ठान के कार्यों का अनुवीक्षण महासभा, शासी परिषद्, वित्त समिति, अनुदान समिति, भवन निर्माण (नवीन एवं स्थानीय) समिति, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड समिति, परियोजना समिति, शैक्षणिक समिति एवं परीक्षा समिति द्वारा किया जाता है।

2. प्रतिष्ठान का पता

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान,
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश,
पो. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)
दूरभाष : (0734) 2502266, 2502254, **फैक्स** : (0734) 2502253
ई-मेल : msrvvpujn@gmail.com, **वेबसाइट** - www.msrvvp.ac.in

3. प्रतिष्ठान का कार्य समय

कार्यालय का समय: प्रातः 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) तथा दोपहर 1.30 बजे से 2.00 बजे तक आधे घंटे का भोजन अवकाश।

* * * * *

मैन्युअल II

धारा 4(1)(ख)(ii)
विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य

I. <u>प्रतिष्ठान के अधिकारी</u>

इस प्रतिष्ठान के अधिकारीगण निम्नलिखित के अनुसार होंगे –

(i) अध्यक्ष,

(ii) उपाध्यक्ष,

(iii) सचिव,

(iv) कोषाध्यक्ष (यह पद समाप्त किया जा चुका है)

अध्यक्ष

(i) भारत सरकार के प्रभारी शिक्षा मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(ii) अध्यक्ष अपने कार्यालय के प्रभाव से इस प्रतिष्ठान के प्रधान होंगे और यदि समागत होते हैं तो महासभा और शासी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(iii) अध्यक्ष अपने आदेश से तथा लिखित में इस प्रतिष्ठान की ऐसी किसी भी कार्यवाही को निष्प्रभावी कर सकते हैं जो इस प्रतिष्ठान के नियमों एवं उपनियमों के अनुरूप नहीं है।

(iv) अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि प्रतिष्ठान की जाँच अथवा निरीक्षण कराएं।

(v) अध्यक्ष नियमों द्वारा यथानिर्दिष्ट सभी अन्य कार्य निष्पादित करेंगे।

उपाध्यक्ष

(i) इस प्रतिष्ठान के एक मानद उपाध्यक्ष होंगे जिनका नामांकन माननीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(ii) उपाध्यक्ष वह सभी कार्य निष्पादित करेंगे और ऐसे सभी प्रकार्य और शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो अध्यक्ष द्वारा समान्य रूप से या किसी एकल प्रकरण में निर्दिष्ट की जाएं, और सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों में अध्यक्ष की सहायता करेंगे। यदि अध्यक्ष अवकाश पर होंगे या किसी भी कारण से वे नगर से बाहर गए होंगे तो उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के सभी कार्य निष्पादित किए जाएंगे।

उनका कार्यकाल अध्यक्ष के कार्यकाल का सहसमापी या नए उपाध्यक्ष का नामांकन किए जाने तक, दोनों स्थितियों में से जो भी पहले हो, रहेगा।

सचिव

प्रतिष्ठान में एक वैतनिक सचिव होंगे जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी, जिनका वेतन मान तथा निबंधन और शर्तें उपनियमों में यथा निर्धारित किए अनुसार होंगी।

निम्नलिखित तीन सदस्यों वाली एक अन्वेषण समिति तीन व्यक्तियों के एक पैनल का प्रस्ताव करेगी (कोई अधिमानता निर्धारित किए बिना अकारादिक्रम से निर्मित)

क) अध्यक्ष द्वारा नामित – संयोजक

ख) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं हो।

ग) शासी परिषद् का एक सदस्य जिसका नामांकन अध्यक्ष द्वारा किए जाएगा।

सचिव की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु होने तक, दोनों में जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।

प्रावधान है कि यह प्रतिष्ठान बिना चयन प्रक्रिया का अनुसरण किए हुए ही संबंधित पदधारी को नियुक्ति का द्वितीय कार्यकाल दे सकता है तथा यह भी प्रावधान है कि 60 वर्ष की अधिकतम आयुसीमा की शर्त का उल्लंघन नहीं हो।

यह भी प्रावधान है कि सचिव के पद हेतु वेतनमान उसी अनुरूप रहेगा जो भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्विद्यालय के प्रोफेसर हेतु समय समय पर निर्धारित किया जाता है।

तीन नामों के पैनल की संस्तुति करते समय अन्वेषण समिति पैनल में समाविष्ट किए जा चुके प्रार्थी की अर्हता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित वेतनमान में उच्चतर स्तर देने की संस्तुति कर सकती है।

सचिव की शक्तियां और कर्तव्य

(i) सचिव इस प्रतिष्ठान के पूर्णकालिक वैतनिक प्रधान शैक्षिक और अभिशासी अधिकारी होंगे।

(ii) सचिव इस प्रतिष्ठान के कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेंगे और प्रतिष्ठान के सभी प्राधिकरणों के निर्णयों को प्रभाविता प्रदान करेंगे।

(iii) सचिव इस प्रतिष्ठान के सभी प्राधिकरणों के पदेन सदस्य सचिव रहेंगे।

(iv) सचिव का यह कर्तव्य होगा कि संस्थापना नियमावली एवं नियमों तथा

उपनियमों के विधिवत अनुपालन पर निगरानी रखें और इस प्रकार की निगरानी के लिए सभी अनिवार्य शक्तियां उनके पास रहेंगी।

(v) सचिव के पास शासी परिषद द्वारा समादिष्ट अन्य सभी शक्तियां और कर्तव्य भी रहेंगे।

(vi) शासी परिषद की सहमति से सचिव अपनी शक्तियों और प्रकार्यों का प्रत्यायोजन लिखित रूप से नियमों के अनुसार नियुक्त किसी भी अन्य अधिकारी को कर सकते हैं।

(vii) सचिव इस प्रतिष्ठान के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी कर्तव्यों का निर्धारण करेंगे और यथा आवश्यकता अनुसार यथोचित पर्यवेक्षण और अनुशासनिक नियंत्रण करेंगे।

* * * * *

मैन्युअल III

धारा 4(1)(ख)(iii)

पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व प्रणालियों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाले पद्धति

I. प्रतिष्ठान के प्राधिकरण

इस प्रतिष्ठान के प्राधिकरण निम्नानुसार होंगे –

(i) महासभा;

(ii) शासी परिषद;

(iii) वित्त समिति।

महासभा

इस प्रतिष्ठान की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा और संशोधन का प्राधिकार महासभा के पास है।

प्रतिष्ठान के महासभा में निम्नलिखित का समावेश है :

1	शिक्षा मंत्री	-	अध्यक्ष
2	उपाध्यक्ष, मसारावेविप्र	-	उपाध्यक्ष
3	पारम्परिक अध्ययन में संलग्न संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच सदस्य	-	i) पंडित चन्द्र भानु शर्मा, बदरी भगत वेद विद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ii) श्री कुप्पा शिव सुब्रहमण्य अवधानी, घनपाठी, प्रधानाचार्य, तिरुमला धर्मगिरि वेद पाठशाला, तिरुमला, आन्ध्र प्रदेश iii) डॉ. शैलेन्द्र प्रसाद उनियाल, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, देव प्रयाग, उत्तराखंड iv) प्रो. वी. कुटुम्ब शास्त्री, भूतपूर्व कुलपति , राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली v) डॉ. जीतराम भट्ट, निदेशक, गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री विद्या प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
4	चार प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान	-	i) प्रो. हृदय रंजन शर्मा, आजीवन प्रतिष्ठित प्राध्यापक, भूतपूर्व विभाग प्रमुख, वेद विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

			ii) कुलपति, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय,रामटेक,नागपुर
			iii) प्रो. रामचन्द्र भट्ट कोटमाने, भूतपूर्व कुलपति, स्वामी विवेकानन्द योग विश्वविद्यालय, बंगलुरु
			iv) प्रो. गिरीश चन्द्र पंत, विभाग प्रमुख – संस्कृत, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
5	भारत सरकार के तीन प्रतिनिधि	-	i) अतिरिक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग
			ii) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता, शिक्षा मंत्रालय
			iii) संयुक्त सचिव (भाषा), शिक्षा मंत्रालय

6 अध्यक्ष टी. टी. देवस्थानम, तिरुपति अथवा उनके मनोनीत

7 अध्यक्ष, शंकर अकादमी ऑफ संस्कृत,कल्चर एण्ड क्लासिकल आर्ट्स, नई दिल्ली अथवा उनके मनोनीत

8 अध्यक्ष, चतुर्धाम भवन न्यास, कानपुर अथवा उनके मनोनीत

9 कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान), नई दिल्ली

10 निदेशक, वैदिक संशोधन मंडल, पुणे

11 सचिव, इन्दिरा कला प्रतिष्ठान अथवा उनके मनोनीत

12	प्रत्येक का एक प्रतिनिधि	-	i) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा
			ii) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति
13	कुलपति	-	i) कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय
			ii) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
			iii) जगन्नाथ विश्वविद्यालय तथा
			iv) गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय अथवा उनके मनोनीत

14 निदेशक, वी. आर. आर. आई., होशियारपुर अथवा उनके मनोनीत

15 संस्कृति विभाग का एक प्रतिनिधि

16 सचिव, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन तथा

17 एसोसिएट सदस्य, उप सचिव (भाषा) इसके एसोशिएट सदस्य होंगे

महासभा की शक्तियां

महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी और यह –

(i) प्रतिष्ठान की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करेगी और प्रतिष्ठान के समुन्नयन तथा विकास हेतु उपायों का सुझाव देगी;

(ii) प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे और ऐसे लेखों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर, यदि कोई हुए, पर विचार करेगी और संकल्प परित करेगी;

(iii) इसके समक्ष लाए गए किसी भी प्रकरण पर अध्यक्ष को परामर्श देगी; और

(iv) नियमों में यथा निर्धारित किसी भी अन्य प्रकार्य का निष्पादन करेगा।

महासभा की बैठक *(विगत बैठक 13-02-2025 को आयोजित)*

(i) महासभा की प्रत्येक बैठक का आयोजन सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी किए गए नोटिस के माध्यक से किया जाएगा।

(ii) महासभा की बैठक के लिए दिए गए प्रत्येक नोटिस में बैंठक के आयोजन के समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा और बैठक के लिए नियत दिन से स्पष्टतया 21 दिन पहले महासभा के प्रत्येक सदस्य को यह नोटिस दिया जाएगा।

प्रावधान किया जाता है कि अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उचित समझें तो, कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए उक्त के अलावा अल्प कालीन नोटिस पर विशेष बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

(iii) अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अथवा दोनों ही की अनुपस्थिति में बैठक में समागत सदस्यों द्वारा चुने गए किसी भी सदस्य द्वारा महासभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

(iv) महासभा के 10 सदस्य अथवा कुल सदस्यों का एक तिहाई, दोनों में से जो अधिक हो, प्रत्येक बैठक के लिए कार्यवाह संख्या (कोरम) मानी जाएगी।

प्रावधान किया जाता है कि कार्यवाह संख्या (कोरम) के अभाव में यदि किसी बैठक का स्थगन किया जाता है तो अध्यक्ष अथवा अध्यक्षता कर रहे सदस्य द्वारा यथा निर्धारित किए अनुसार इसका आयोजन उसी दिन अथवा किसी अन्य दिन किया जाएगा तथा यदि किसी ऐसी बैठक में नियम किए गए समय से आधे घण्टे के भीतर कार्यवाह संख्या समागत नहीं होती है तो समागत सदस्य ही कार्यवाह संख्या अभिरूपित करेंगे।

(v) सभी मामलों का निर्णय बहुमत से किया जाएगा। अध्यक्षता कर रहे सदस्य

सहित महासभा के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत रहेगा और किसी प्रश्न पर समसमान मत होने पर अध्यक्षता कर रहे सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत रहेगा।

(vi) कार्यपद्धति के सभी मामलों पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

शासी परिषद *(विगत बैठक 13-02-2025 को आयोजित)*

शासी परिषद इस प्रतिष्ठान की प्रधान अधिशासी निकाय है जिसपर प्रतिष्ठान के सामान्य पर्यवेक्षण, कार्यों के लिए निदेश देने तथा नियंत्रण का दायित्व रहेगा और यह प्रतिष्ठान की ऐसी शक्तियों का भी उपयोग करेगी जिनका अन्यथा प्रावधान संस्थापना नियमावली,नियमों और उपनियमों में नहीं है। शासी परिषद में निम्नलिखित सदस्य रहेंगे –

शासी परिषद का गठन

1	शिक्षा मंत्री	-	अध्यक्ष
2	उपाध्यक्ष , मसारावेविप्र	-	उपाध्यक्ष
3	सचिव, मसारावेविप्र	-	सचिव
4	भारत सरकार के दो प्रतिनिधि	-	i) संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय ii) संयुक्त सचिव (भाषा), शिक्षा मंत्रालय
5	नियम 11(vi) दो सदस्य जिन्हें महासभा द्वारा मनोनीत किया जाएगा	-	i) श्री कुप्पा शिव सुब्रह्मण्या अवधानी घनपाठी, प्रधानाचार्य, तिरुमला धर्मगिरी वेद पाठशाला तिरुमला, आन्ध्र प्रदेश ii) प्रो. गिरीश चन्द्र पंत, विभाग प्रमुख – संस्कृत, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
6	प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी , कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान), नई दिल्ली		
7	उप सचिव (भाषा), शिक्षा मंत्रालय – एशोसिएट सदस्य		

शासी परिषद की बैठक

(i) शासी परिषद की बैठक सामान्यतया एक वर्ष में चार बार होगी।

(ii) शासी परिषद के ‘स्वयं’ उपस्थित पचास प्रतिशत सदस्यों जिनमें न्यूनतम एक सदस्य मंत्रालय से रहेगा, शासी परिषद की बैठक हेतु कार्यवाह संख्या होंगे।

(iii) अध्यक्ष द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अथवा दोनों की अनुपस्थिति में समागत सदस्यों द्वारा चुने गए किसी सदस्य द्वारा शासी परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

(iv) नियम 10 (iv) और नियम 10 (v) के अधीन दिए गए प्रावधान यथेचित

परिवर्तनों सहित शासी परषिद् पर लागू होंगे।

शासी परिषद् की शक्तियाँ और प्रकार्य

(i) प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को सामान्यतया शासी परिषद पूरा करेगी जैसा कि संस्थापन नियमावली में निर्धारित किया गया है।

(ii) प्रतिष्ठान के सभी कार्यों, निधियों और सम्पत्तियों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व शासी परषिद पर होगा।

(iii) शासी परिषद् को शक्तियां होंगी कि प्रतिष्ठान के प्रशासन तथा कार्य के प्रबन्धन हेतु इन नियमों से संगत उपनियमों को बनाए।

(iv) आगामी प्रावधानों की सामान्यता के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना ऐसे उप-नियमों में निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान किया जा सकता है –

(अ) प्रतिष्ठान के विभिन्न कार्यकलापों के लिए बजट प्राक्कलन और व्यय को तैयार करना और स्वीकृत करना।

(आ) प्रतिष्ठान की संविदाओं का निष्पादन/निधियों का निवेश और ऐसे निवेश का विक्रय अथवा संपरिवर्तन।

(इ) प्रतिष्ठान के लेखे की लेखा परीक्षा कराना।

(ई) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रतिष्ठान के अधिकारियों और स्टाफ के पदों का सर्जन तथा चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करना। प्रावधान किया जाता है कि समूह 'क' के पदों हेतु भारत सरकार की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी।

(उ) प्रतिष्ठान के अधिकारियों तथा स्टॉफ हेतु नियुक्ति की शर्तों और कार्यकाल, भत्तों, अनुशासनिक नियमों और सेवा की अन्य शर्तों का निर्धारण करना।

(ऊ) यथा आवश्यक प्रतीत होने पर बोर्डों, समितियों अथवा अन्य निकायों का गठन करना उनके प्रकार्यों, कार्यकाल, आदि का निर्धारण करना और अपने द्वारा गठित बोर्डों/समितियों अथवा अन्य निकायों का समापन भी करना।

(v) अप्रत्याशित प्रकरणों में जहां किसी मामले में शासी परिषद् द्वारा तत्काल निर्णय अपेक्षित है और शासी परिषद् की बैठक का तत्काल आयोजन संभव नहीं है तो शासी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा शासी परिषद् की तरफ से निर्णय लिया जा सकता है और आगामी बैठक में इसकी संपुष्टि हेतु इसकी रिपोर्ट शासी परिषद को दी जाए।

(vi) यदि अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में सदस्य सचिव का यह अभिमत है कि ऐसा करना अनिवार्य है;

तो वह मामले का परिचालन परिषद के सदस्यों के मध्य करते हुए शासी परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

वित्त समिति *(विगत बैठक 06-11-2024 को आयोजित)*

(i) एक वित्त समिति रहेगी जो प्रतिष्ठाान को सम्पत्तियों तथा निवेश के प्रबंधन, वार्षिक बजट प्राक्कलन तथा लेखे एवं व्यय के विवरण तैयार करने से संबंधित सभी मामलों पर प्रतिष्ठान को परामर्श देगी।

(ii) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियां और प्रकार्य होंगें –

(अ) प्रतिष्ठान के बजट का परीक्षण और संवीक्षा करना।

(आ) नए व्यय हेतु सभी प्रस्तावों पर विचार करना और परामर्श देना।

(इ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और परामर्श देना।

(ई) समय-समय पर प्रतिष्ठान की वित्त व्यवस्था की समीक्षा करना।

(उ) प्रतिष्ठान को प्रभावित करने वाले किसी भी वित्तीय मामले पर परामर्श देना।

वित्तीय विवरणी और वार्षिक बजट प्राक्कलनों को सबसे पहले वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और फिर इनकी संस्तुतियों सहित इसे शासी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii-क) अप्रत्याशित प्रकरणों में जहां किसी मामले में वित्त समिति द्वारा तत्काल निर्णय अपेक्षित है और वित्त समिति की बैठक का तत्काल आयोजन संभव नहीं है तो वित्त समिति के अध्यक्ष द्वारा वित्त समिति की तरफ से निर्णय लिया जा सकता है और आगामी बैठक में इसकी संपुष्टि हेतु इसकी रिपोर्ट वित्त समिति को दी जाए।

(ii-ख) यदि वित्त समिति के अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में सदस्य सचिव के अभिमत से ऐसा करना अनिवार्य हो तो वे मामले का परिचालन सदस्यों के बीच करते हुए भी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) वित्त समिति में निम्नलिखित का समावेश होगा –

1	शासी परिषद के उपाध्यक्ष	-	अध्यक्ष
2	भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	-	संयुक्त सचिव (भाषा)
3	वित्तीय परामर्शदाता, शिक्षा मंत्रालय	-	सदस्य
4	अपने सदस्यों में से शासी परिषद द्वारा मनोनीत दो सदस्य	-	i) श्री कुप्पा शिवसुब्रह्मण्या अवधानी घनपाठी , प्रधानाचार्य, तिरुमला धर्मगिरी वेद पाठशाला

तिरुमला, आन्ध्र प्रदेश

ii) कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली

5 प्रतिष्ठान के सचिव - सदस्य सचिव

(iv) नियम 12 तथा 13(i) यथेचित परिवर्तनों सहित वित्त समिति पर लागू होंगे।

(v) वित्त समिति के पचास प्रतिशत सदस्य, जिनमें न्यूनतम एक सदस्य मंत्रालय से हो, वित्त समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाह संख्या निर्धारित करेंगे।

(vi) नियम 10 (iv) और नियम 10 (v) के अधीन दिए गए प्रावधान यथेचित परिवर्तनों सहित वित्त समिति पर लागू होंगे।

<u>अनुदान समिति</u> ***(विगत बैठक 06-11-2024 को आयोजित)***

प्रतिष्ठान की अनुदान समिति का गठन 14/4/2021 से आगामी आदेशों तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं –

1	उपाध्यक्ष, मसारावेविप्र	-	अध्यक्ष
2	निदेशक / डीएस, आईएफडी	-	सदस्य
3	निदेशक / डीएस, भाषा प्रभाग	-	सदस्य
4	प्रो. प्रहलाद् जोशी, कुलपति, केबीवीएसएएएस विश्वविद्यालय, नलबाड़ी, आसाम	-	सदस्य
5	प्रो. रवीन्द्र ए. मुले	-	सदस्य
6	प्रो. गणेश दत्त भारद्वाज	-	सदस्य
7	सचिव, मसारावेविप्र	-	सदस्य सचिव

<u>परियोजना समिति</u> ***(विगत बैठक 11-02-2025 तथा 12-02-2025 को आयोजित)***

प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं की संस्तुति करने हेतु परियोजना समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन 01/04/2023 से आगामी आदेशों तक तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं –

1	उपाध्यक्ष, मसारावेविप्र	-	अध्यक्ष
2	प्रो. मुरली मनोहर पाठक, कुलपति, , एसएलबीएसआरएसवी	-	सदस्य
3	प्रो. जय प्रकाश नारायण द्विवेदी, भूतपूर्व निदेशक, श्री द्वारिकाधीश संस्कृत अकादमी एण्ड इण्डोलाजिकल	-	सदस्य

रिसर्च इन्स्टीट्यूट, द्वारका

4	प्रो. दिवाकर महापात्र भूतपूर्व प्रोफेसर, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, श्रीविहार, पुरी (ओडिशा)	-	सदस्य
5	सचिव, मसारावेविप्र	-	सदस्य सचिव

आवश्यकता के अनुसार परियोजना समिति की बैठक एक बार/ दो बार की जाती है और वैदिक सम्मलेन, वैदिक सेमिनार, वैदिक कार्यशाला, आदि जैसे विभिन्न शैक्षणिक और विस्तार कार्यकलापों पर संस्तुति दी जाती है।

<u>शैक्षणिक समिति -</u>

शासी परिषद द्वारा शैक्षणिक समिति और परीक्षा समिति नामक दो समितियों का गठन किया जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं, साथ ही यह शर्त रहेगी कि शासी परिषद अथवा प्रतिष्ठान की किसी अन्य समिति के सदस्य सचिव और अध्यक्ष के अलावा कोई भी सदस्य इन दो समितियों का सदस्य नहीं होगा –

1	सचिव, मसारावेविप्र	-	अध्यक्ष
2	पाँच वैदिक विद्वान, (उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र के अनुसार)	-	सदस्य
3	आधुनिक विषय का एक विशेषज्ञ, (भाषाओं सहित) शासी परिषद से मनोनीत	-	सदस्य
4	एक शिक्षाविद; शासी परिषद द्वारा मनोनीत	-	सदस्य
5	प्रभारी अधिकारी, शैक्षणिक, मसारावेविप्र	-	संयोजक

<u>शैक्षणिक समिति की शक्तियां और प्रकार्य</u>

प्रतिष्ठान के शैक्षणिक कार्यकलापों हेतु प्रतिष्ठान की शैक्षणिक समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ और प्रकार्य रहेंगे। इसमें निम्नलिखित दायित्व समाहित होंगे, अर्थात –

(क) स्व प्रयासों से अथवा शासी परिषद के अनुरोध पर वेद विषयक शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना और इस बारे में समुचित कार्रवाई की संस्तुति करना;

(ख) वेद भूषण, वेद विभूषण, किसी भी वेद/वैदिक ज्ञान से संबंधित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की दिशा में अध्ययन के पाठ्यक्रमों को विकसित और निर्धारित करना;

(ग) वेद की श्रुति परम्परा और वैदिक शिक्षण के समुचित शैक्षणिक मानकों का अनुरक्षण;

(घ) वेद पाठशालाओं / केन्द्रों के कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा करना और मौखिक वेद परम्परा तथा वैदिक शिक्षण के मानकों के अनुरक्षण तथा समुन्नयन की दृष्टि से समुचित कार्रवाई करना;

(ङ) वेद पाठशालाओं/गु.शि.प इकाइयों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना तथा शैक्षणिक मानकों के संबंध में अनुदेशन की प्रविधियों, मूल्यांकन और समुन्नयन हेतु निदेश देना;

(च) वेद पाठशालओं / गु.शि.प इकाइयों हेतु भारत सरकार की योजनाओं के अनुसार वेद अध्यापकों और आधुनिक विषयों के अध्यापकों की संस्तुति करना;

(छ) प्रतिष्ठान के अनंतर वेद संबंधी शोध कार्य का संवर्द्धन करना, ऐसे शोधकार्यों के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त करना;

(ज) अन्य संस्थानों के वेद प्रमाणपत्रों/डिप्लोमा को मान्यता देना और प्रतिष्ठान के अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ इनकी समतुल्यता निर्धारित करना;

(झ) समस्त भारत से वेद संस्थानों के मध्य समन्वयन हेतु उपायों की अनुशंसा करना;

(ञ) शासी परिषद को निम्नलिखित के बारे में संस्तुतियां करना – (क) मौखिक वेद परम्परा तथा वैदिक शिक्षण, अध्यापन, शोध तथा प्रशिक्षण के मानकों में सुधार के उपायों के बारे में, (ख) अध्येतावृत्तियों, यात्रा अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों, पुरस्कारों, आदि की संस्थापना; (ग) अप्रचलित वेद शाखाओं / केन्द्रों हेतु नए अध्ययन कार्यक्रमों की स्थापना अथवा समापन हेतु शासी परिषद को संस्तुतियां करना; तथा (घ) प्रवेश, परीक्षाओं, अध्येतावृत्तियां और शिष्यत्व प्रदान करने, निशुल्कता, रियायत, उपस्थिति, अनुशासन, आवास, आदि के बारे में प्रतिष्ठान के शैक्षणिक प्रकार्यों को समाहित करते हुए नियम बनाना; (ङ) परीक्षाओं तथा अन्य लाभों से वेद पाठशालाओं / गु.शि.प इकाइयों को हटाने के लिए शासी परिषद को संस्तुतियां करना;

(ट) शासी परिषद द्वारा भेजे गए मामलों पर विशिष्ट वेद विषयक परामर्श देने के लिए उप समितियों की नियुक्ति करना;

(ठ) उप-समितियों की संस्तुतियों पर विचार करना और प्रत्येक प्रकरण की परिस्थिति के अनुरूप कार्रवाई करना; तथा

(ड) शासी परिषद द्वारा प्रदत्त अथवा अध्यारोपित अन्य कर्तव्यों का निष्पादन और अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

परीक्षा समिति

1	सचिव, मसारावेविप्र	-	अध्यक्ष
2	दो पारम्परिक वेद पंडित (उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्र अनुसार)	-	सदस्य

3	आधुनिक विषय पर एक विशेषज्ञ (भाषा सहित) शासी परिषद से मनोनीत	-	सदस्य
4	आरएसकेएस के परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
5	एक शिक्षाविद :शासी परिषद से मनोनीत	-	सदस्य
6	मसारावेविप्र – परीक्षा प्रभारी	-	संयोजक

परीक्षा समिति की शक्तियों और प्रकार्य

प्रतिष्ठान की परीक्षा समिति का दायित्व होगा कि परीक्षाओं और मौखिक वेद परीक्षणों का अयोजन करने और परिणामों की घोषणा करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करे। इसके दायित्वों में निम्नलिखित समाहित होंगे –

(क) प्रतिष्ठान की वेद परीक्षाओं के उचित मानकों का अनुरक्षण;

(ख) मौखिक परीक्षाओं सहित परीक्षाओं के लिए अग्रिम कैलेन्डर तैयार करना और घोषित करना;

(ग) परीक्षाओं और मौखिक वेद परीक्षाओं के केन्द्रों हेतु निर्णय करना;

(घ) आधुनिक भाषाओं ओर विषयों, वेद परीक्षकों, मौखिक परीक्षकों, मौखिक वेद परीक्षा का संचालन, आदि करने हेतु वेद पंडितों के बोर्ड, परिनियामकों, सारणीकारों और ऐसे ही अन्य कार्मिकों के नामों को पैनलबद्ध करना और इस प्रयोजन के लिए उनकी नियुक्ति करना;

(ङ) प्रश्नपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था करना और परीक्षा संबंधी अन्य गोपनीय प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना;

(च) वेद परीक्षकों, मौखिक परीक्षकों, आधुनिक भाषाओं और विषयों आदि के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का उचित मूल्यांकन करवाने और परिणामों को संसाधित करने की व्यवस्था करना;

(छ) परीक्षाओं के परिणामों का समय पर प्रकाशन करने की व्यवस्था करना;

(ज) कदाचार की किसी घटना अथवा यदि परिस्थितियों के कारण अपेक्षित हो तो परीक्षाओं को आंशत: अथवा पूर्णतया स्थगित या निरस्त करना और इस प्रकार का कदाचार करने के लिए आरोपित किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या किसी संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करना अथवा अनुशासनिक कार्रवाई करना/संस्तुति करना;

(झ) प्रतिष्ठान की परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाए जाने की स्थिति में अनुशासनकि कार्रवाई की संस्तुति करना;

(ञ) प्रतिष्ठान की परीक्षाओं के परिणामों की समय-समय पर समीक्षा करना और शासी परिषद् को इनकी रिपोर्टें अग्रेषित करना;

(ट) प्रतिष्ठान की परीक्षाओं से वेद पाठशालाओं / गु.शि.प इकाइयों को अलग करने के लिए शासी परषिद को संस्तुति करना; एवं

(ठ) प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक कोई अन्य कर्तव्य।

टिप्पणी : इस समय वेद भूषण पंचम वर्ष (10वीं कक्षा) और वेद विभूषण द्वितीय वर्ष (12वीं कक्षा) की परीक्षाओं का अनुवीक्षण बोर्ड द्वारा किया जाता है।

परीक्षा अनुभाग

आमुख

प्रतिष्ठान की परीक्षा प्रणाली का अभिरूप इस प्रकार का है कि वैदिक शिक्षण (3+4) प्रणाली में वेद विद्यार्थियों के प्रत्येक वर्ष की प्रगति का आकलन किया जा सके। वेद भूषण पाठ्यक्रम की समयावधि 5 वर्ष है एवं वेद भूषण पाठ्यक्रम की समयावधि 2 वर्ष है।

1. सस्वर वेद मौखिक परीक्षा में :
   (i) कण्ठस्थीकरण
   (ii) स्वर संचालन
   (iii) उच्चारण;
2. सहगामी आधुनिक विषयों (संस्कृत, अंग्रेजी, समाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, भारतीय ज्ञान परम्परा, वैदिक साहित्य का इतिहास) की लिखित परीक्षा;
3. कौशल विकास और उद्यमिता पाठ्यक्रमों हेतु लिखित, प्रायोगिक, मौखिक परीक्षा और परियोजना कार्य परीक्षा;
4. अतिरिक्त विषय (मातृभाषा, योग एवं ध्यान, कम्प्यूटर, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, व्यक्तित्व विकास और नैतिक शिक्षा) परीक्षा।

गोपनीयता

प्रश्नपत्र तैयार करने वालों/ परीक्षा केन्द्र के पर्यवेक्षकों/ वेद भूषण और वेद विभूषण पाठ्यक्रमों हेतु वेद परीक्षा के वेद परीक्षकों, आदि की नियुक्ति से संबंधित पत्रवाली को परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने तक गोपनीय रखा जाता है।

अंतिम परीक्षा

1. प्रत्येक विद्यार्थी के वार्षिक सस्वर वेद मौखिक परीक्षा की मौखिक परीक्षा वैदिक विद्वानों द्वारा पृथक से संचालित की जाती है।
2. वेद भूषण प्रथम से पंचम वर्ष (6ठी कक्षा से 10वीं तक) और वेद विभूषण प्रथम वर्ष (11वीं कक्षा) के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए नामनिर्दिष्ट परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित किए जाते हैं। तथापि, वेद भूषण द्वितीय वर्ष (12वीं कक्षा) की परीक्षा का आयोजन केवल उज्जैन में प्रतिष्ठान के मुख्यालय में किया जाता है।
3. शैक्षणिक समिति/परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित दिशानिदेशों/अनुदेशों के अनुसार

प्रश्नपत्रों का निर्धारण किया जाएगा।

4. लिखित परीक्षा की अधिकतम समयावधि तीन घण्टे है।
5. संबद्ध वेद पाठशालाओं और अन्य सरकारी संस्थाओं यथा – केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), और राज्य सरकारी विद्यालयों/महाविद्यालयों से विषय अध्यापकों/विशेषज्ञों द्वारा सहगामी आधुनिक विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है। वेद भूषण प्रथम से पंचम वर्ष (6ठी कक्षा से 10वीं तक) और वेद विभूषण प्रथम – द्वितीय वर्ष (11वीं और 12वीं कक्षा) के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का केन्द्रीकृत मूल्यांकन केवल उज्जैन स्थित प्रतिष्ठान के मुख्यालय में किया जाता है।

न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशतता और श्रेणी का वर्गीकरण

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों को सस्वर वेद परीक्षा में 60% तथा सहगामी आधुनिक विषय की प्रत्येक लिखित परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने होंगे। श्रेणी का वर्गीकरण निम्नानुसार है –

वेद विषय		सहगामी आधुनिक विषय	
90% तथा अधिक	प्रथम श्रेणी	60% तथा अधिक	प्रथम श्रेणी
75% - 89.99%	द्वितीय श्रेणी	50% - 59.99%	द्वितीय श्रेणी
60% - 74.99%	तृतीय श्रेणी	40% - 49.99%	तृतीय श्रेणी
59.99% तथा कम	अनुत्तीर्ण	39.99% तथा कम	अनुत्तीर्ण

अंतिम परिणाम	
90% तथा अधिक	प्रथम श्रेणी
75% - 89.99%	द्वितीय श्रेणी
60% - 74.99%	तृतीय श्रेणी
59.99% तथा कम	अनुत्तीर्ण

पुनर्मूल्यांकन

सहगामी आधुनिक विषयों में अपने प्राप्तांकों से जो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हैं उनसे पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेद विषय में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं हैं।

परीक्षा के दौरान कदाचार की घटना सामने आने की कोई भी रिपोर्ट होने की स्थिति में प्रतिष्ठान ऐसे कदाचार में संलिप्त परीक्षा केन्द्र की परीक्षा को निरस्त कर देता है और ऐसे कदाचार में संलिप्त परीक्षा केन्द्र के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

पूरक परीक्षा

वेद भूषण (प्रथम से पंचम वर्ष) और वेद विभूषण (प्रथम तथा द्वितीय वर्ष) विद्यार्थियों में उनके आवेदन पूरक परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाते हैं जो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए अथवा अनुपस्थित रहे। पूरक परीक्षा विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार प्रतिष्ठान द्वारा नामनिर्दिष्ट परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाती है।

तथापि, वेद विभूषण द्वितीय वर्ष (12वीं कक्षा) की परीक्षा हेतु पूरक परीक्षा केवल उज्जैन स्थित प्रतिष्ठान के मुख्यालय में संचालित की जाती है।

आगामी उच्चतर कक्षा में प्रोन्नति

i. **वेद भूषण प्रथम वर्ष (6ठी कक्षा) विद्यार्थियों हेतु** – ऐसे विद्यार्थी जो वार्षिक परीक्षा में बैठ चुके हैं लेकिन वेद अथवा किसी अन्य सहगामी आधुनिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उन्हें वेद भूषण द्वितीय वर्ष ((7वीं कक्षा) में इस शर्त के साथ प्रोन्नति दे दी जाती है कि वे (i) वेद परीक्षा तथा (ii) सहगामी आधुनिक विषयों में से किसी में भी अनुत्तीर्ण हुए विषय में परावर्ती परीक्षा को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा।

ii. **वेद भूषण द्वितीय से चतुर्थ वर्ष (7वीं से 9वीं कक्षा) और वेद विभूषण प्रथम वर्ष (11वीं कक्षा) विद्यार्थियों हेतु** – ये विद्यार्थी आगामी उच्चतर कक्षा में प्रोन्नति के योग्य हैं, शर्त यह रहेगी कि वे वर्तमान कक्षा की अपनी वेद परीक्षा को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करें।

iii. **वेद भूषण पंचम वर्ष (10वीं कक्षा) और वेद विभूषण द्वितीय वर्ष (12वीं कक्षा) के विद्यार्थी** – इन विद्यार्थियों को वेद एवं सभी सहगामी आधुनिक विषय की परीक्षाओं दोनों में अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना होगा। यह देखते हुए कि ये बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो प्रोन्नति का प्रावधान इस पर लागू नहीं होता। उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र पाने के लिए विद्यार्थियों को वेद एवं सभी आधुनिक विषयों में उत्तीर्ण होना होगा ((एनसीएलई) के विषय में उत्तीर्ण होने की शर्त सहित)।

छात्रवृत्ति

एक वेद विद्यार्थी को प्रतिमाह रु. 5000/- की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें से प्रतिमाह रु.1500/- की धनराशि को विद्यार्थी और उसके माता-पिता/अभिभावक के संयुक्त खाते में स्वतः व्यय धनराशि के रूप में जमा की जाती है और शेष रु.3500/- अनुरक्षण के लिए होते हैं जिसका भुगतान विद्यार्थी के अनुरक्षण हेतु पाठशाला/गु.शि.प इकाई को किया जाता है।

वार्षिक संबद्धता

1. ऐसी वेद पाठशालाएं/गु.शि.प इकाइयां जो प्रतिष्ठान से अनुदानित हैं, उन्हें महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान एवं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु संबद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन से वार्षिक शुल्क देना होगा। वार्षिक संबद्धता शुल्क निम्नानुसार है –

क्र.	वेद पाठशाला/ संस्थान / गुरु शिष्य परंपरा इकाई	विद्यार्थियों की संख्या	वार्षिक संबद्धता शुल्क	जीएसटी (18% की दर से)	कुल देय शुल्क
1	प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित वेद पाठशाला / संस्थान	10 से 20 तक	रु. 5,000/-	रु. 900/-	रु. 5,900/-
		21 से 50 तक	रु. 10,000/-	रु. 1,800/-	रु. 11,800/-
		51 से 75 तक	रु. 15,000/-	रु. 2,700/-	रु. 17,700/-
		76 से 100 तक	रु. 20,000/-	रु. 3,600/-	रु. 23,600/-
		100 से अधिक	रु. 25,000/-	रु. 4,500/-	रु. 29,500/-
2	गुरु शिष्य परम्परा इकाई	10 तक	रु. 5,000/-	रु. 900/-	रु. 5,900/-

2. ऐसी वेद पाठशालाएं/गु.शि.प इकाई जो प्रतिष्ठान से अनुदान रहित हैं, उन्हें महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान एवं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु संबद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन से वार्षिक शुल्क देना होगा। वार्षिक संबद्धता शुल्क निम्नानुसार है –

क्र.	वेद पाठशाला/ संस्थान / गुरु शिष्य परंपरा इकाई	वार्षिक संबद्धता शुल्क	जीएसटी (18% की दर से)	कुल देय शुल्क
1	प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान रहित वेद पाठशाला / संस्थान	रु. 15,000/-	रु. 2700/-	रु. 17700/-
2	प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान रहित गुरु शिष्य परम्परा इकाई	रु.3,000/-	रु.540/-	रु.3540/-

3. ऐसे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय जो प्रतिष्ठान से अनुदानित हैं, उन्हें महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान और महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु संबद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन से वार्षिक शुल्क देना होगा। वार्षिक संबद्धता शुल्क निम्नानुसार है –

क्र.	वेद पाठशाला/ संस्थान / गुरु शिष्य परंपरा एकक	वार्षिक संबद्धता शुल्क	जीएसटी (18% की दर से)	कुल देय शुल्क
	प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित प्रत्येक राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय	रु.1,00,000/-	रु.18,000/-	रु.1,18,000/-
1.	राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन			
2.	श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, पुरी, ओडिशा			
3.	राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, द्वारका, गुजरात			
4.	राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, गुवाहटी, असम			
5.	राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, श्रृंगेरी अथवा निकटवर्ती स्थान, कर्नाटक			
6.	राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, बदरीनाथ अथवा निकटवर्ती स्थान, उत्तराखंड			
	कुल शुल्क	रु.1,00,000/-	रु.18,000/-	रु. 1,18,000/-

परीक्षा शुल्क

प्रतिष्ठान से सम्बद्ध अनुदानित एवं अनुदान रहित विभिन्न वेद पाठशालाओं तथा गुरु शिष्य परम्परा इकाइयों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए वेद भूषण प्रथम – पंचम वर्ष (कक्षा 6ठी से 10वीं) और वेद भूषण (कक्षा 11वीं – 12वीं) हेतु शैक्षणिक सत्र 2024-25 का वार्षिक परीक्षा शुल्क निम्नानुसार है –

अध्ययन वर्ष	वेद भूषण प्रथम वर्ष (कक्षा 6ठी) से तृतीय वर्ष (कक्षा – 8वीं)	वेद भूषण चतुर्थ वर्ष (कक्षा – 9वीं)	वेद भूषण पंचम वर्ष (कक्षा – 10वीं)	वेद विभूषण प्रथम वर्ष (कक्षा 11वीं) और द्वितीय वर्ष (कक्षा 12वीं)
परीक्षा शुल्क (प्रति विद्यार्थी)	रु.300/-	रु.800/- (रु.300/- कौशल परीक्षा)	रु.500/-	रु. 600/-

* * * * *

मैन्युअल IV

धारा 4(1)(ख)(iv)

अपने प्रकार्यों के प्रतिपादन हेतु प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित मानदंड

शक्तियों का प्रत्यायोजन

प्रतिष्ठान हेतु विशिष्ट रूप से अनुमोदित सामान्य निबंधनों और शर्तों के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान के लिए प्रभावी जीएफआर अनुप्रयोज्य है।

सचिव अपनी किसी भी शक्ति और प्रकार्य का प्रत्यायोजन शासी परिषद की सहमति से लिखित रूप में नियमों के अधीन नियुक्त किसी भी अन्य अधिकारी को कर सकते हैं।

अप्रत्याशित प्रकरणों में जहां किसी मामले में शासी परिषद द्वारा तत्काल निर्णय अपेक्षित है और शासी परिषद की बैठक का तत्काल आयोजन संभव नहीं है तो शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा शासी परिषद की तरफ से निर्णय लिया जा सकता है और आगामी बैठक में इसकी संपुष्टि हेतु इसकी रिपोर्ट शासी परिषद को दी जाए।

यदि अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में सदस्य सचिव का यह अभिमत हो कि ऐसा करना अनिवार्य है; तो वह मामले का परिचालन परिषद के सदस्यों के मध्य करते हुए शासी परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

वित्त समिति द्वारा अनुमोदन से, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आबंटित निधियों की सीमा में, सचिव को आबंटित धनराशि तक व्यय करने का प्राधिकार है।

समितियां

प्रतिष्ठान के सक्षम प्राधिकारी जैसी भी आवश्यकता समझें स्थायी अथवा विशेष समितियों की स्थापना कर सकते हैं और इन समितियों के गैर सदस्यों सहित किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं। इस प्रकार की समितियां सौंपे गए विषयों का समाधान करेंगी, जो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा संपुष्टि के अधीन होगा।

अयोग्यताएं

i) कोई भी व्यक्ति इस प्रतिष्ठान के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य चुने जाने तथा सदस्य बने रहने के अयोग्य हो जाएगा यदि –

क) वह त्यागपत्र दे देता है; विक्षिप्त हो; अशोध्य दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; अथवा नैतिक पतन संनिहित हो ऐसे दंडनीय अपराध का दोषसिद्ध हो;

ख) यदि ऐसा कोई संदेह उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति उपरिल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है अथवा इन अयोग्यताओं के अधीन माना गया है तो ऐसे मामले प्रतिष्ठान के अध्यक्ष/ भारत सरकार को भेज दिया जाएगा और उनका निर्णय ही अंतिम

होगा और ऐसे किसी भी निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही अवस्थित नहीं होगी।

आकस्मिक रिक्तियों को भरना

प्रतिष्ठान के किसी भी प्राधिकरण अथवा समिति के सदस्यों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) के मध्य कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो इसे व्यक्ति की अथवा निर्वाचन क्षेत्र से नियुक्ति अथवा सहयोजित करते हुए उपयुक्तता सहित शीघ्रातिशीघ्र भरा जाएगा। ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस प्रकार से नियुक्त अथवा सहयोजित व्यक्ति परिवर्तित किए जा रहे सदस्य की शेष कार्यअवधि के लिए कार्य करेगा।

त्यागपत्र

किसी भी प्राधिकारण के पदेन सदस्य के अतिरिक्त कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र सचिव को संबोधित पत्र के माध्यम से दे सकता है। यदि नियमों तथा उपनियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं हो तो इस प्रकार का त्यागपत्र उसी समय से प्रभावी होगा जब यह प्रस्तुत किया जाता है।

नियमों में संपरिवर्तन, आशोधन एवं परिवर्धन

शासी परिषद् द्वारा वर्तमान में लागू सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के अनुसार इन नियमों में संपरिवर्तन, आशोधन और परिवर्धन किए जा सकते हैं, प्रावधान यह है कि प्रतिष्ठान के नियमों में इस प्रकार के संपरिवर्तन, आशोधन तथा परिवर्धन केवल तभी प्रभावी होंगे जब समुचित प्राधिकारी से अनुमोदन मिल जाए।

उपनियम

संस्थापन नियमावली एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार शासी परिषद् के पास निहित अन्य सभी शक्तियों के अलावा उपनियमों को तैयार करने की शक्ति है। वर्तमान में सेवा संबंधी मामलों का निपटान करने के लिए प्रतिष्ठान के पास सेवा विनियमावली 2000 तथा भर्ती उपनियम 2023 हैं।

जाँच अथवा निरीक्षण की संस्थापना

प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को प्रतिष्ठान की जांच अथवा निरीक्षण कराने की संस्थापना का अधिकार होगा।

विधिक कार्यवाही

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा (VI) के प्रयोजन से सचिव को प्रतिष्ठान का सदस्य सचिव माना जाएगा एवं सचिव के नाम से प्रतिष्ठान की तरफ से वाद चलाया जा सकता है या इस पर वाद चलाये जा सकते हैं।

वित्त और लेखे की लेखापरीक्षा

(i) प्रतिष्ठान का लेखांकन वर्ष वही रहेगा जो भारत सरकार का है।

(ii) प्रतिष्ठान के बैंक खाते का प्रचालन प्रतिष्ठान के सचिव एवं सचिव द्वारा इस प्रयोजन के लिए मनोनीत प्रतिष्ठान के एक अन्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(iii) प्रतिष्ठान उचित लेखों और अन्य संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और तुलनपत्र सहित लेखे का वार्षिक विवरण उसी प्रकार से तैयार करेगा जैसा वित्त समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

(iv) अधिशेष निधियां जिनकी तत्काल आवश्यकता शोध कार्य के लिए नहीं है, को प्रतिष्ठान द्वारा केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशियों अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा।

(v) प्रतिष्ठान की लेखाबहियों की लेखापरीक्षा वार्षिक रूप से उसी प्रकार की जाएगी जैसा वित्त समिति/ भारत सरकार निदेश दे।

वार्षिक रिपोर्ट / वार्षिक लेखे

(vi) लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित प्रतिष्ठान के यथा प्रमाणित लेखे, वार्षिक आधार पर प्रतिष्ठान के प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

(vii) प्रतिष्ठान अपनी विगत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और विगत वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा, ताकि इन्हें आगमी वर्ष के 31 दिसम्बर तक संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सके।

नए पदस्थ द्वारा प्रभार ग्रहण करने तक विद्यमान प्राधिकरणों का बने रहना

(viii) अपनी कार्यावधि का अवसान होने के पश्चात विद्यमान प्राधिकरण तब तक बने रहेंगे जब तक नए प्राधिकरणों का पुनर्गठन नहीं हो जाता है।

प्रतिष्ठान का विघटन

(ix) यदि प्रतिष्ठान का विघटन किए जाने की आवश्यकता है तो ऐसा दिल्ली संघराज्य क्षेत्र के लिए यथा अनुप्रयोज्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 13 तथा 14 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

प्रतिष्ठान सार्वलौकिक

(i) प्रतिष्ठान लिंग, प्रजाति, सम्प्रदाय, जाति अथवा वर्ग पर ध्यान दिए बिना सभी लोगों के लिए खुला है तथा सदस्यों, विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा कार्मिकों को प्रवेश देने अथवा नियुक्त करने अथवा किसी भी अन्य संबंध में धार्मिक आस्था अथवा व्यवसाय को लेकर कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी।

(ii) प्रतिष्ठान द्वारा ऐसा कोई भी हितलाभ स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसमें इसके अभिमत से इस प्रतिष्ठान की मूलभावना और उद्देश्यों के विपरीत शर्तें अथवा बाध्यताएं निहित हैं।

* * * * *

मैनुअल V

धारा 4(1)(ख)(v)

प्रतिष्ठान द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने प्रकार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल एवं अभिलेख

प्रतिष्ठान अपने दैनिक प्रकार्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों में निर्धारित नियमों, विनियमों, अनुदेशों आदि का पालन करता है:

1. महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की संस्थापना नियमावली एवं नियमों, जिनमें दैनिक प्रकार्यों के निर्वहन के लिए उद्देश्य, नियम एवं व्यापक रूपरेखा निर्धारित की गई हैं।
2. शासी परिषद् के निर्णय एवं संकल्प।
3. भारत सरकार द्वारा यथासमय जारी कार्यालय ज्ञापन एवं अनुदेश।
4. भारत सरकार के एफआर एवं एसआर, जीएफआर, सीसीएस (आचरण) नियम, सीसीएस (सीसीए) नियम, टीए/एलटीसी नियम आदि।

* * * * *

मैनुअल VI

धारा 4(1)(ख)(vi)

प्रतिष्ठान द्वारा रखे गए या उसके नियंत्रण में प्रलेखों की श्रेणियों का विवरण

क्रमांक.	रिकॉर्ड की प्रकृति	जानकारी का विवरण
1	संस्थापना नियमावली एवं नियम	संस्थापना नियमावली में महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन की स्थापना; प्रतिष्ठान की शक्तियां, प्रकार्यों एवं उद्देश्यों; प्रतिष्ठान के विभिन्न प्राधिकरणों का गठन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण मामलों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। https://msrvvp.ac.in/MoA_As_on_Date.pdf
2	संशोधित स्वीकृत संख्या और भर्ती नियम	प्रतिष्ठान में विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियम।
3	वार्षिक प्रतिवेदन	वार्षिक प्रतिवेदन में प्रतिष्ठान द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों, योजनाओं, वेदों की श्रुति परंपरा के संरक्षण/संवर्धन, प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों और सम्मेलनों के बारे में जानकारी सम्मिलित है। (लिंक : https://msrvvp.ac.in/annual_con.html)
4	वार्षिक लेखा	वार्षिक लेखे, तुलन-पत्र, पिछले वित्तीय वर्षों के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट। (लिंक: https://msrvvp.ac.in/annual_con.html)
5.	महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड के उपनियम (मसारावेसंशिबोर्ड)	[मसारावेविप्र के नियमों के नियम 14 (iv) (एफ) के तहत उपनियम] महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के अंतर्गत वेदों की मौखिक परंपरा, पारंपरिक वैदिक या संस्कृत शिक्षा की पाठशाला प्रणाली, देश में डोमेन क्षेत्र में पूर्व-डिग्री स्तर / वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ तुलनीय और मान्यता प्राप्त करने के लिए मानकीकरण, परीक्षा, संबद्धता, मान्यता, प्रमाणन, प्रमाणीकरण, पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों के निर्माण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड के निर्माण और सशक्तीकरण के लिए उपबंध करने के लिए। (लिंक : https://msrvvp.ac.in/msrvssb1/wp-content/uploads/2022/09/Bye-Laws-of-MSRVSSB.pdf)

6.	महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की संबद्धता के ड्राफ्ट उपनियम	महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (मसारावेसंशिबोर्ड) को देश में या देश के बाहर वेद पाठशाला/गु.शि.प इकाई/ओरिएंटल स्कूल/संस्कृत माध्यम स्कूल/स्कूल/गुरुकुल/संस्थान के लिए पूर्व-डिग्री स्तर/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए मानकीकरण, संबद्धता, मान्यता, प्रमाणन, प्रमाणीकरण और "शिक्षा के डोमेन क्षेत्र" पर पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित, अधिसूचित और सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। (लिंक : https://msrvvp.ac.in/msrvssb1/wp-content/uploads/2022/09/MSRVSSB-Affiliation-Bye-laws.pdf)
7.	महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड परीक्षा ड्राफ्ट उपनियम	महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (एमएसआरवीएस एसबी) की परीक्षा के प्रारूप उपनियम, पूर्व-डिग्री तक डोमेन शैक्षणिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए हैं। (लिंक : https://msrvvp.ac.in/msrvssb1/wp-content/uploads/2022/09/MSRVSSB-Examination-Bye-laws.pdf)
8.	निविदाएं/प्रापण	निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा प्रपत्र और बोली प्रलेख निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: (लिंक : https://msrvvp.ac.in/tender.html)
9	सेवा अभिलेख	प्रतिष्ठान के प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी का सम्पूर्ण विवरण युक्त सेवा अभिलेख।
10	विद्यार्थियों का परिणाम	वेद भूषण एवं वेद विभूषण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परिणाम। (लिंक : https://msrvvp.ac.in/msrvssb1/?page_id=464)
11	प्रशासन, संपदा और लेखा	स्टॉक रजिस्टर, जीआरडी रजिस्टर और लॉग बुक आदि। डीपीआर, ड्राइंग और अन्य पत्राचार आदि। रसीद बुक, निवेश रजिस्टर, अग्रिम रजिस्टर, टीए और बिल रजिस्टर, एसएआर, कैश बुक, अंतिम खाते, लैजरों और अन्य का नियमित रूप से अनुरक्षण किया जाता है।
12	आरटीआई त्रैमासिक विवरणी अभिलेख	(लिंक : https://msrvvp.ac.in/rti_con.html)

प्रलेखों/श्रेणियों के अभिरक्षक : सचिव/विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रमुख

मैनुअल VII.

धारा 4(1)(ख)(vii)

अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान किसी व्यवस्था का विवरण।

प्रतिष्ठान की महासभा वह मुख्य निकाय है जो प्रतिष्ठान की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है, जिन्हें वित्त समिति और शासी परिषद के अनुमोदन से ठोस कदमों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

इन तीनों निकायों में भारत के शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि, विद्वान, वैदिक पंडित, संस्कृत विश्वविद्यालयों/एवं मानित संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि तथा भारत के प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान सम्मिलित हैं जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया गया है।

एतदर्थ, निर्माण और कार्यान्वयन दोनों चरणों में आम जनता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा, प्रतिष्ठान में कार्यक्रमों के अनुवीक्षण हेतु समय-समय पर कई सलाहकार समितियाँ गठित की जाती हैं।

वेदों एवं वैदिक शिक्षा की श्रुति परंपरा में सुधार के लिए आम जनता से प्राप्त किसी भी सुझाव को भी उचित प्राधिकारी के माध्यम से समुचित महत्त्व दिया जाता है।

* * * * *

मैनुअल VIII

धारा 4(1)(ख)(viii)

दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण - क्या इन बोर्डों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।

क्रम संख्या	बोर्ड/परिषद/समिति का नाम	बैठकें जनता के लिए खुली हैं या नहीं	क्या कार्यवृत्त सार्वजनिक रूप से प्राप्य हैं
1.	महासभा	नहीं	हाँ (आरटीआई अधिनियम के अनुसार छूट प्राप्त श्रेणी के मामलों को छोडकर)
2.	शासी परिषद्	नहीं	-यथोक्त-
3.	वित्त समिति	नहीं	-यथोक्त-
4.	अनुदान समिति	नहीं	-यथोक्त-
5.	परियोजना समिति जिसमें वर्ष के लिए अनुमोदित कार्यक्रमों की बजट विवरण सहित सूची सम्मिलित है	नहीं	-यथोक्त-
6.	शैक्षणिक समिति	नहीं	-यथोक्त-
7.	परीक्षा समिति	नहीं	-यथोक्त-
8.	मसारावेसंशि बोर्ड	नहीं	-यथोक्त-
9.	तदर्थ समितियाँ-यदि कोई हो	नहीं	-यथोक्त-
10.	पुरस्कार प्रदान करने के लिए उच्च स्तरीय समिति	नहीं	नहीं
11.	मसारावेविप्र में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समितियां	नहीं	नहीं
12.	अनुशासन समिति	नहीं	नहीं
13.	वेद अध्यापकों / संपरीक्षण समिति के सदस्यों के आवेदनों की जांच के लिए समिति	नहीं	नहीं
14.	वेदों एवं आधुनिक विषयों के पाठ्यक्रम के लिए विशेषज्ञ समिति	नहीं	हाँ (आरटीआई अधिनियम के अनुसार छूट प्राप्त श्रेणी के मामलों को छोडकर)
15.	भवन निर्माण समिति	नहीं	-यथोक्त-
16.	प्रकाशन समिति	नहीं	-यथोक्त-

* बैठक के कार्यवृत्त में आंतरिक विचार-विमर्श निहित होता है। तथापि, यदि अपेक्षित हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत अनुप्रयोज्य छूट के अधीन, आरटीआई आवेदक को प्रासंगिक अंश प्रदान किए जा सकते हैं।

* * * * *

मैनुअल IX

धारा 4(1)(ख)(ix)

प्रतिष्ठान के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

यह प्रतिष्ठान की वेबसाइट: http://www.msrvvp.ac.in. पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है (https://msrvvp.ac.in/officer_con.html)

* * * * *

मैनुअल X

धारा 4(1)(ख)(x)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इसके विनियमों में प्रदत्त प्रतिपूर्ति की प्रणाली सहित।

मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित और प्रतिष्ठान द्वारा अपनाए गए विभिन्न कर्मचारी श्रेणियों के वेतनमान इस मैनुअल के साथ अनुलग्नक-I पर संलग्न हैं।

* * * * *

मैनुअल XI

धारा 4(1)(बी)(xi)

सभी योजनागत, प्रस्तावित व्ययों के विवरण दर्शाते हुए अपनी प्रत्येक एजेंसी हेतु बजट आबंटन और किए गए संवितरणों की रिपोर्टें।

शासी परिषद् और वित्त समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय प्राक्कलन, बजट आबंटन एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय इस मैनुअल के साथ अनुलग्नक II में संलग्न हैं।

विगत पांच वर्षों का बजट और व्यय अनुलग्नक III में संलग्न है।

प्रतिष्ठान की संग्रह निधि - प्रतिष्ठान की स्थापना के समय भारत सरकार ने यह परिकल्पना की थी कि प्रतिष्ठान को दस करोड़ रुपए की संग्रह निधि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इसके निवेश से होने वाली आवर्ती आय का उपयोग प्रतिष्ठान की विभिन्न कार्यकलापों और कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जाए। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा 1996-97 के अंत तक किस्तों में दस करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। दिनांक 06.03.2025 की यथा स्थिति अनुसार प्रतिष्ठान की संग्रह निधि 31.86 करोड रुपए है। प्रतिष्ठान के नियमों के अनुसार, इस संग्रह निधि को रिक्त नहीं किया जा सकता है। तथापि, संग्रह निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग प्रतिष्ठान के कार्यकलापों के लिए किया जा सकता है।

* * * * *

मैनुअल XII

धारा 4(1)(ख)(xii)

उपदान कार्यक्रमों के निष्पादन की पद्धति, आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित

प्रतिष्ठान का सम्पूर्ण वित्त पोषण शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा कोई भी उपदान कार्यक्रम इस प्रतिष्ठान के कार्यान्वयन के अधीन नहीं है। कार्यक्रमों/अनुदान के लाभार्थियों की सूची इस मैन्युअल के साथ संलग्न है तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

* * * *

मैनुअल XIII

धारा 4(1)(ख)(xiii)

इसके द्वारा दी गई रियायतों, अनुज्ञापत्रों या अनुज्ञप्तियों का विवरण।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 19-10-1994 के अपने पत्र संख्या 8-3/1994 Skt.I के द्वारा वैदिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए वेद पाठशालाओं/वेद विद्यालयों को वित्तीय सहायता की योजना बजटीय सहायता सहित प्रतिष्ठान को हस्तांतरित कर दी थी। यह योजना भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार की व्यापक योजना के अंतर्गत चलाई जाती है। प्रतिष्ठान द्वारा इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान में से वेद अध्यापकों और आधुनिक विषय अध्यापकों को मानदेय और संगठनों/संस्थाओं/पाठशालाओं/विद्यालयों में छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

(क) प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त रियायतें

प्रतिष्ठान द्वारा वैदिक सस्वर उच्चारण की मौखिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने की योजना चलाई जाती है। इस योजना को चलाने के लिए गुरु के स्थायी पद स्वीकृत नहीं हैं। यह वेदों के प्रचार-प्रसार के लिए मानदेय आधारित सेवा है। प्रत्येक स्वीकृत गुरु के अधीन अधिकतम 10 छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्रतिष्ठान वेद एवं आधुनिक दोनों विषयों के अध्यापकों को मानदेय तथा वेदों की मौखिक परंपरा का अध्ययन करने के लिए आने वाले वेद विद्यार्थियों को जाति, पंथ और क्षेत्र के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। अधिकतम स्वीकृत सीमा 1) वेद पाठशालाओं हेतु 137 है एवं 2) गुरु शिष्य परंपरा (गु.शि.प) इकाई हेतु 342 है।

मानदेय में वृद्धि

मानदेय में स्वतः वृद्धि नहीं होती।

पाठशाला के वेद अध्यापकों का मानदेय (मासिक)

क्रमांक	वेद अध्यापक मानदेय प्रतिमाह (01-04-2023 से प्रभावी)
1.	रु. 27,500/- प्रतिमाह - 0 से 5 वर्ष तक अध्यापन
2.	रु. 33,000/- प्रतिमाह - 5 से 10 वर्ष तक अध्यापन
3.	रु. 38,500/- प्रतिमाह - 10 वर्ष से अधिक अध्यापन

पाठशाला के आधुनिक विषय अध्यापकों का मानदेय

क्रमांक	विषय	प्रतिमाह मानदेय (01-04-2023 से प्रभावी)
1.	संस्कृत	रु. 30,000/- प्रतिमाह - 0 से 5 वर्ष तक अध्यापन रु. 33,000/- प्रतिमाह - 5 से 10 वर्ष तक अध्यापन रु. 35,000/- प्रतिमाह - 10 वर्ष से अधिक अध्यापन
2.	अंग्रेजी	रु. 25,000/- प्रतिमाह - 0 से 5 वर्ष तक अध्यापन रु. 30,000/- प्रतिमाह - 5 से 10 वर्ष तक अध्यापन रु. 35,000/- प्रतिमाह - 10 वर्ष से अधिक अध्यापन
3.	गणित	रु. 25,000/- प्रतिमाह - 0 से 5 वर्ष तक अध्यापन रु. 30,000/- प्रतिमाह - 5 से 10 वर्ष तक अध्यापन रु. 35,000/- प्रतिमाह - 10 वर्ष से अधिक अध्यापन
4.	सामाजिक विज्ञान	रु. 25,000/- प्रतिमाह - 0 से 5 वर्ष तक अध्यापन रु. 30,000/- प्रतिमाह - 5 से 10 वर्ष तक अध्यापन रु. 35,000/- प्रतिमाह - 10 वर्ष से अधिक अध्यापन

गुरु शिष्य परम्परा इकाई वेद अध्यापक मानदेय (मासिक)

क्रमांक	गुरु वेद अध्यापक को प्रति माह मानदेय (01-04-2023 से प्रभावी)
1.	रु. 25,000/- प्रतिमाह - 0 से 5 वर्ष तक अध्यापन रु. 30,000/- प्रतिमाह - 5 से 10 वर्ष तक अध्यापन रु. 35,000/- प्रतिमाह - 10 वर्ष से अधिक

वेद विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति (प्रति माह)

क्रमांक	कुल छात्रवृत्ति प्रतिमाह
1.	कुल - रु.5,000/- जिसमें से 1) रु.1500/- प्रति माह छात्र के माता-पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते में स्वतः व्यय राशि के रूप में जमा किया जाता है। 2) रु.3500/- उसके रखरखाव के लिए है, जो छात्र के रखरखाव के लिए पाठशाला/गु.शि.प इकाई को दिया जाता है।

राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को मानदेय (संविदात्मक आधार पर)

शैक्षणिक स्टाफ (संविदात्मक आधार पर)		**गैर-शैक्षणिक स्टाफ (संविदात्मक आधार पर)**	
रा.आ.वे.वि के वेद अध्यापक	रु.65,000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय	छात्र प्रतिपालक (वार्डेन)	रु.40,000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय
रा.आ.वे.वि के आधुनिक विषय (संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान) अध्यापकों का मानदेय	रु.45,000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय	पुस्तकालय सहायक	रु.30,000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय
योग अध्यापक	रु.45,000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय	एम.टी.एस	रु.22,500/- प्रतिमाह की दर से मानदेय

(ख) प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त रियायतें

प्रतिष्ठान की संग्रह निधि के ब्याज से होने वाली आय पर आयकर छूट का लाभ पहले से लिया जा चुका है। वर्तमान में सीबीडीटी के आदेशों के अनुसार वर्षानुवर्ष आधार पर छूट का दावा किया जाता है।

टिप्पणी :- प्रतिष्ठान द्वारा संचालित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों में संविदा पर सेवारत वेद एवं आधुनिक विषय अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता का विवरण इसी मैनुअल के अंत में अनुलग्नक IV में दिया गया है।

* * * * *

मैनुअल XIV

धारा 4(1)(ख)(xiv)

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके द्वारा रखी गई सूचना के संबंध में विवरण

1. प्रतिष्ठान में सभी आधिकारिक कार्य कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं।
2. इसके अलावा, प्रतिष्ठान के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित डेटा उपलब्ध है:
    - क) वैदिक स्पूल जिनकी संख्या 1089 हैं।
    - ख) वेद् शाखाओं के संबंध में प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित सीडी।
    - ग) वैदिक ग्रंथ विषयक इलेक्ट्रॉनिक डेटा।
    - घ) विभिन्न प्राधिकरणों की संचिकाओं/कार्यवाहियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।
    - ड) अनुभाग द्वारा हर महीने संसाधित अनुदानों की स्वीकृत संचिकाएं (पीडीएफ में)।
    - च) विभिन्न वैदिक सम्मेलनों और वैदिक संगोष्ठियों की रिपोर्ट्स, फोटोएं, क्लिपिंग्स।
    - छ) वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे प्रतिष्ठान की वेबसाइट (https://msrvvp.ac.in/annual_con.html) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी : निवेदनानुसार सूचना प्रदान की जाती है, जो आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त छूट और सीआईसी के निर्णय का अनुसरण करते हुए दी जाती है।

* * * *

मैनुअल XV

धारा 4(1)(ख)(xv)

जानकारी प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

क) प्रतिष्ठान ने अपने एक स्टाफ/पदधारी को जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए मनोनीत किया हुआ है, जो संबंधित जानकारी प्रदान करके जनता और प्रतिष्ठान के बीच के अंतराल को कम करेगा।

ख) जनसंपर्क अधिकारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा आम जनता के साथ संपर्क बनाए रखता है और प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रमों और आयोजनों को रिपोर्ट करता है।

ग) प्रवेश, भर्ती, परिपत्रों, प्रेस विज्ञप्तियों आदि के बारे में सभी जानकारी प्रतिष्ठान की वेबसाइट- www.msrvvp.ac.in पर भी उपलब्ध है।

प्रतिष्ठान परिसर में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ

घ) सम्पूर्ण स्टाफ को कार्यसमय के दौरान कार्यालयी कार्य के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है।

ङ) मसारावेविप्र से संबद्ध सभी वेद विद्यार्थियों को अखिल भारतीय वैदिक युवा महोत्सव, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं आदि के दौरान अखिल भारतीय वेद अंत्याक्षरी/साहित्यिक प्रतियोगिताओं, वेद विद्यार्थियों हेतु खेल एवं क्रीडा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है।

च) स्टाफ के लिए एक पृथक भोजन कक्ष का प्रावधान है।

वेद भूषण (कक्षा 6ठी से 10वीं तक) एवं वेद-विभूषण (कक्षा 11वीं एवं 12 वीं) पाठ्यक्रमों में प्रवेश

छ) वेद पाठशाला और गु.शि.प इकाइयों द्वारा पाँच वर्षीय वेद भूषण पाठ्यक्रम में प्रवेश ऐसे विद्यार्थियों को दिया जाता है जो पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण हैं अथवा ऐसे शिष्य जिन्हें पाँचवीं कक्षा में पढ़ने, लिखने और बोलने में दक्षता है, जिसे किसी सरकारी शिक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्रतिष्ठान सभी विद्यार्थियों के लिए खुला रहेगा, चाहे वे किसी भी लिंग, प्रजाति, पंथ, जाति अथवा वर्ग के हों।

ज) इसके अतिरिक्त वेदभूषण अर्हताधारी विद्यार्थी को वेद पाठशालाओं और गु.शि.प इकाइयों द्वारा दो वर्षीय वेद विभूषण पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है।

प्रतिष्ठान की प्रवेश अधिसूचना का समय

वेद भूषण और वेद विभूषण पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश अधिसूचना प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने के दौरान जारी की जाती है एवं सामान्यतः प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक प्रवेश की अनुमति होती है।

सभी पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के लिए शुल्क संरचना

वेद भूषण (6ठी से 10वीं कक्षा तक) और वेद विभूषण (11वीं और 12वीं कक्षा) पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं परीक्षा पूरी तरह निःशुल्क है। तथापि, जिन छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती (बाह्य परीक्षा प्रणाली के विद्यार्थी) उन्हें परीक्षा व्यवस्था/प्रमाणन शुल्क के रूप में रु. 300/- (केवल तीन सौ रुपये) का भुगतान करना होगा।

* * * * *

मैनुअल XVI

धारा 4(1)(ख)(xvi)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

नाम	:	श्री संजय श्रीवास्तव
पदनाम	:	सहायक निदेशक
दूरभाष	:	(O) (0734) 2502255, 2502254,
ई-मेल	:	msrvvpujn@gmail.com

अपीलीय अधिकारी

नाम	:	प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्
पदनाम	:	सचिव
दूरभाष	:	(O) (0734) 2502255, 2502254,
ई-मेल	:	msrvvpujn@gmail.com

* * * * *

मैनुअल XVII.
धारा 4(1)(बी)(xvii)

ऐसी अन्य सूचना जो निर्धारित की जा सकती है।

प्रतिष्ठान एक संस्था है जिसकी स्थापना (क) प्रत्येक शाखा, गुरु-शिष्य परम्परा एवं वैदिक ज्ञान के अनुसार वेदों की श्रुति परंपरा को संरक्षित, प्रचारित एवं लोकप्रिय बनाने के लिए की गई है; (ख) वेदों में निहित प्राचीन ज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा वेदों में अध्ययन और अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ इसके संरेखण के लिए की गई है; तथा (ग) व्यक्तियों एवं राष्ट्र के समग्र विकास के लिए वैदिक ज्ञान के अनुप्रयोगों के लिए की गई है।

सूचना चाहने वाला व्यक्ति एक सादे कागज/अंत में संलग्न प्रोफार्मा पर आवेदन कर सकता है, जिसमें मांगी जा रही सूचना का विवरण एवं पत्राचार के लिए अपना सही पता उल्लिखित हो। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क (वर्तमान में 10/- रुपए का शुल्क) का भुगतान करना होगा। मांगे गए प्रलेखों की प्रतियों के लिए A4 आकार के प्रति पृष्ठ हेतु 2 रुपए या बड़े आकार के A4 आकार की वास्तविक लागत का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

* * *

Annexure - I

Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain
Details of the Sanctioned Staff in each Pay Scale

Sr. No.	Name of the Officer/Employee	Name of the Post	Level	Annual Income Tax paid during the year 2024-25	Sanctioned Post	Working Post	Vacant Post
1	Prof. Viroopaksha V. Jaddipal	Secretary	Level - 14	9,45,000	1	1	-
2	Vacant	Deputy Director	Level – 11	-	2	-	2
3	Vacant			-			
4	Shri Sanjay Shrivastava	Assistant Director	Level - 10	1,53,000	4	1	-
5	Shri Lavi Tyagi			81,000		1	
6	Shri Mishra Akash Kumar Devesh			81,000		1	
7	Dr. Anoop Kumar Mishra			1,39,000		1	
8	Vacant	Programme Officer	Level - 10	-	1	-	1
9	Shri Ashish Sharma	Accounts Officer	Level - 8	52,000	1	1	-
10	Vacant	Private Secretary	Level - 7	-	1	-	1
11	Shri Srikant Choubey	Section Officer	Level - 7	80,000	1	1	-
12	Dr. Meenakshi Shrivastava	Accountant	Level - 6	28,500	2	1	1
13	Vacant			-		-	
14	Shri Devashish Tiwari	Jr.Hindi Translator	Level - 6	25,500	1	1	-
15	Shri Vinay Sharma	Assistant	Level - 6	27,000	2	1	-
16	Shri Chandeshwar Mishra			20,000		1	
17	Shri Anand Sharma	Sr. Stenographer	Level -6	31,500	1	1	-
18	Ms. Rajani Bhawsar Pandaw	Jr. Stenographer	Level - 4	27,000	2	1	1
19	Vacant			-		-	
20	Shri Akhileshwar Mishra	UDC	Level - 4	31,000	2	1	-
21	Shri Deepak Chawda			0		1	
22	Shri Purushottam Mishra	Staff Car Driver	Level - 2	54,000	1	1	-
23	Shri Kunj Bihari Pandey	LDC	Level - 2	19,500	8	1	2
24	Shri Dharmendra Barod			0		1	
25	Shri Ankit			0		1	
26	Shri Manoj Kushwah			0		1	
27	Shri Rohit Pramod Dabhade			0		1	
28	Shri Jay Dhupkariya			0		1	
29	Vacant			-		-	
30	Vacant			-		-	
31	Shri Satyapal Yadav	MTS	Level - 1	34,000	6	1	-
32	Shri Gopal Dhandoria			27,000		1	
33	Shri Gajendra Lal Negi			34,500		1	
34	Shri Pawan Madariya			0		1	
35	Ms. Anjali Joshi			0		1	
36	Shri Shivam Rai			0		1	
		Total		**18,90,500**	**36**	**28**	**08**

ANNEXURE - II

Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan

BUDGET ESTIMATE FOR 2024-25 (Rs. in lakhs)

1	2	4	5
S. No.	PARTICULARS	Actuals 2023-24	B.E. 2024-25
	Receipt/ Allocation of GIA from Ministry of Education		
	GIA General - Non NER	7545.85	8294.00
	Capital- Non NER	3659.64	4380.00
	Salary- Non NER	400.07	587.00
	TOTAL- NON-NER	**11605.56**	**13261.00**
	GIA General -NER	459.01	585.00
	Capital- NER	115.46	871.00
	Salary-NER	....	379.00
	TOTAL - NER	**574.47**	**1835.00**
	GRAND TOTAL (Non NER + NER)	**12180.03**	**15096.00**
	Actuals/ Estimated Expenditure for various activities under GIA		
1	**GIA-General**		
	A. Grants to Pathshalas and GSP Units		
	Grants to Veda Pathashalas & Stipend to students	4383.11	4600.00
	Grants to GSP Units & Stipend to students	1965.00	2144.00
	TOTAL - A	**6348.11**	**6744.00**
	B. Rashtriya Adarsh Veda Vidyalayas - Ujjain, Puri, Dwarka, Shringeri, Badrinath - Honorarium to Teachers and Stipend to Students including Maintenance Expenditure		
	Remuneration for the teachers & staff and stipend to students of the RAVVs	235.64	370.00
	Students' Maintenance and other misc. expenses	105.00	190.00
	TOTAL -B	**340.64**	**560.00**
	C. Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board (MSRVSSB)		
	Administrative & Examination Expenses- TA/DA/Hon. etc	178.35	200.00
	D. Veda Promotional Activities- Veda Sammelans/ Seminars/workshops, Aid to Nityagnihotries etc.		
	Honorarium to Aged Pandits & Nityagnihotris	40.20	50.00
	Veda Sammelan, Seminar& other promotional programmes	138.29	150.00
	TOTAL -D	**178.49**	**200.00**
	E. GIA-General related other Misc. Contingent Expenses-Other Admn Expenses, Maintenance and Repairs, Campus Development etc.		
	Payment to outsourcing agencies for manpower services	167.54	190.00
	Buildings & Campus at Ujjain (Annual Maintenance & Repair by CPWD)	88.61	100.00

	Publications, Printing of Text Books & Other Misc. Administrative Expenses	210.87	215.00
	Affiliation & Processing Fees-Academic Expenses	33.25	35.00
	TOTAL -E	500.27	540.00
	F. Project on Artificial Intelligence & Machine Learning		
	Assessment of Quality in Vedic Intonation through Artificial Intelligence & Machine Learning	----	50.00
	TOTAL -F	----	50.00
	Total - GIA-General (A+B+C+D+E+F)	7545.86	8294.00
2	GIA-Creation of Capital Assets		
	Advance to CPWD for the ongoing construction works in Ujjain and RAVVs Puri, Dwarka, subject to approval of SFC, Ministry of Education.	3599.76	4280.00
	Other Capital Assets	59.88	100.00
	TOTAL –Creation of Capital Assets	3659.64	4380.00
3	GIA-Salary		
	Salaries and other related expenditure of the regular employees of the Pratishthan	400.07	587.00
	TOTAL (Salary)	400.07	587.00
	Total - Non-NER –(General +Capital+Salary)	11605.57	13261.00
4	**A. GIA-General -NER- Grants to Pathashalas and GSP Units**		
	Grants to Veda Pathashalas & Stipend to students in NER	280.10	300.00
	Grants to GSP Units & Stipend to students in NER	173.41	180.00
	Various other programmes in NER	1.10	10.00
	Total -A	454.61	490.00
	B. Expenditure on RAVV, Guwahati		
	Remuneration for the teachers & staff and stipend to students of RAVV Guwahati	2.25	85.00
	Maintenance and other misc. expenses	2.14	10.00
	Total -B	4.39	95.00
	TOTAL –NER- GIA General (A + B)	459.00	585.00
5	**C. GIA-Creation of Capital Assets- NER**		
	Advance to CPWD for Building Works- RAVV-Guwahati, subject to approval of SFC, Ministry of Education.	115.46	850.00
	Other Capital Assets	-	1.00
	TOTAL –C – Creation of Capital Assets -NER	115.46	871.00
6	**D. GIA-Salary- NER**		
	Salary	---	-----
	TOTAL-D	---	-----
	Total (NER) –(General + Capital + Salary)	574.46	1456.00
	Grand Total (Non-NER + NER)	12180.04	14717.00

Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishth

BUDGET ESTIMATE FOR 2024-25

Internal Resources

Rs. in lakhs

1	2		7
S. No.	PARTICUALRS	Actuals 2023-24	Estimates for 2024-25
	RECEIPTS		
1	Interest on FDR	61.46	250.00
2	Interest on Savings	8.30	10.00
3	Affiliation Fee	40.01	50.00
4	Examination Fee	39.99	50.00
5	Other misc. receipts from Sale of publication etc.	2.47	5.00
	Total	**152.22**	**365.00**
	EXPENDITURE		
	A – Academic		
1	Assistance to aged/handicapped Veda Pandits/Nityagnihotries	-----	20.00
2	TA/DA/Examination/Inspection	-----	20.00
3	Foundation Day & Other Programmes	-----	10.00
4	Promotional Programmes on Vedas - Sammelans/ Seminars/ Workshops/ Veda Gyan Saptah/Veda Sandesh Yatra/ Vedic Classes for All etc.	-----	30.00
5	Correspondence Course, Refresher Course, Computer Training, Veda Recitation, Quality Improvement Training & other various other training programmes etc.	-----	25.00
6.	Affiliation Fee	6.10	10.00
7.	Examination Fee	3.10	5.00
	Total (A)	**9.20**	**120.00**
1	**B – Administrative**		
	Campus maintenance & related matters	-----	40.00
	Office Expenses and other Contingencies	4.94	20.00
	Total (B)	**4.94**	**60.00**
	GRAND TOTAL (A+B)	**14.14**	**180.00**

Secretary
MSRVVP, UJJAIN

Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain

Budget Estimate for 2023-24

Budget Estimate - Allocation for 2023-24 (Ministry's letter No. 13/01/2023-LCC dt. 20th April, 2023					
Head of Account	**Particulars**	**Actual Expenditure 2021-22**	**Actual Expenditure 2022-23**	**Budget Allocation for 2023-24**	**Estimated exp. for 2023-24**
2202....31	General (Non-NER)	3954.83	5493.87	7900.00	7900.00
2202....35	Capital(Non-NER)	462.32	193.85	3800.00	3800.00
2202....36	Salary(Non-NER)	158.74	178.00	400.00	400.00
2552....31	NER(Gen.)	193.35	331.56	400.00	400.00
2552....35	NER(Capital)	0	0	860.00	860.00
2552....36	NER(Salary)	0	0	390.00	-
Total		**4769.24**	**6197.28**	**13750.00**	**13360.00**

1. **GIA** -

a). At current rates of honorarium to teachers and stipend to students of Veda Pathashalas and GSP Units, monthly requirement is around Rs. 4.25 cr which comes to annual requirement of around Rs. 51.00 cr. Further, the rates of honorarium of teachers and stipend to students have been revised w.e.f. April -2023, resulting in additional requirement of around Rs. 15.00 crores under GIA (General) head of account. Additionally, teachers of modern subjects in various Veda Pathashalas which were not provided so far will have to be provided now, in the light of NEP-2020.

b). Five new Rashtriya Adarsh Veda Vidyalayas (RAVVs) are being set up in five regions of the country which will be fully operational in 2023-24. Additional teachers and other staff are being recruited on contractual basis for these RAVVs for which additional funds will be required under GIA (General) head of account.

c) One of the new RAVVs being established is in NER. As a result, additional funds will be required under GIA (General) -NER head of account.

d) Expenditure on other promotional activities on Veda will also go up due to expansion of Vedic activities.

2. **Salary** - Salary requirement of the existing employees of MSRVVP is around Rs. 2.00 crores annually. Additional 18 posts have been sanctioned to MSRVVP which are in the process of getting filled up. As a result additional funds are required under 'Salary' head. Provision for benefit of Retirement, Gratuity and Leave Encahsmentpayment are to be made.

3. **Capital Works** - Additional infrastructural facilities with estimated cost of around Rs. 80.00 crores in the campus of MSRVVP, Ujjain have been approved by the Ministry. Further, boundary walls of the five new RAVVs in five regions have to be constructed immediately on allotment of land by the State Governments. In year-wise phasing of the expenditure on capital head, around Rs. 38.00 crores have been provided for the year 2023-24.

4. **Capital Works-NER** - One of the RAVVs being established is in NER for which token amount of around Rs. 8.60 crores has been provided under NER-Capital head for construction of boundary walls and temporary sheds for running the RAVV, Guwahati.

5. **Salary –NER** – Since no regular post has been created so far for the RAVV in NER, funds under salary head of account may not be required. This may be re-appropriated by the Ministry.

(Prof. Viroopaksha V. Jaddipal)
Secretary

Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan

BUDGET ESTIMATE FOR 2023-24 (Rs. in lakhs)

1	2	4	5
S. No.	**PARTICULARS**	**Actual 2022-23**	**B.E. 2023-24**
	Receipt/ Allocation of GIA from Ministry of Education		
	General - Non NER	5588.00	7900.00
	Salary- Non NER	178.00	400.00
	Capital- Non NER	2297.00	3800.00
	General -NER	342.00	400.00
	Capital- NER	-	860.00
	Salary-NER	-	390.00
	TOTAL	**8405.00**	**13750.00**
	Actual Expenditure/ Estimated Expenditure for various activities under GIA		
1	**GIA-General**		
	A. Grant-in-Aid to Pathshalas and GSP Units		
	GIA-Pathshala Expenditure	3184.94	4470.00
	GIA-GSP Expenditure	1398.28	2090.00
	TOTAL - A	**4583.22**	**6560.00**
	B. Rashtriya Adarsh Veda Vidyalayas (All)- Ujjain, Puri, Dwarka, Shringeri, Badrinath – Honorarium to Teachers and Self Stipend to Students including Maintenance Expenditure		
	Honorarium for the Teachers& Staff	144.66	380.00
	Maintenance and other expenses	92.82	200.00
	TOTAL -B	**249.71**	**650.00**
	C. Veda Promotional & Development Activities- Veda Sammelans/ Seminars, Examination Expenses and Aid to Nityagnihotries etc.		
	Exam/Inspection+ TA/DA & Food+ Honorarium	113.44	100,00
	Honorarium to Aged Pandits & Nityagnihotris	52.76	55.00
	Veda Sammelan, Seminar etc.	106.08	110.00
	TOTAL -C	**272.28**	**265.00**
	D. GIA related other Misc. Contingent Expenses-Other Admn Expenses, Maintenance and Repairs, Campus Development etc.		
	Outsourcing Agency	126.33	135.00
	Buildings& Campus (Repair&Maintenance by CPWD)	106.96	120.00
	Misc. Administrative Expenses	155.37	70.00
	TOTAL -D	**388.66**	**325.00**

2/5

	E. Assessment of Quality in Vedic Intonation through Artificial Intelligence & Machine Learning	-----	100.00
2	**GIA-Salary**		
	Salaries to the Employees of the Pratishthan including provisions for Retirement Benefits	178.00	400.00
	TOTAL (Salary- Non-NER)	**178.00**	**400.00**
3	**GIA-Creation of Capital Assets**		
	Advance to CPWD for new building works in Ujjain and boundary walls in RAVVs Puri, Dwarka, Guwahati and Sringeri	0.00	3660.00
	Other Fixed Assets	193.85	140.00
	TOTAL	**193.85**	**3,800.00**
	Total (Non-NER)	**5865.72**	**12100.00**
4	**GIA- Expenditure-North-East-Region- Grant-in-Aid to Pathshalas and GSP Units including RAVV Guwahati**		
	GIA-NER-Pathshala Expenditure	223.01	225.00
	GIA-NER-GSP Expenditure	108.55	110.00
	RAVV-Guwahati		65.00
	TOTAL	**331.56**	**400.00**
5	**GIA-Creation of Capital Assets- North East Region**		
	Advance to CPWD for Building Works- RAVV-Guwahati	-	**800.00**
	Other Fixed Assets	-	**60.00**
	TOTAL	-	**860.00**
6	**GIA-Salary- North East Region**		
	Salary	-	**390.00**
	TOTAL	-	**390.00**
	Total (NER)	**331.56**	**1650.00**
	Grand Total (Non-NER + NER)	**6197.28**	**13750.00**

[signature] 2/5

(12)

Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan

BUDGET ESTIMATE FOR 2023-24

Internal Resources

Rs. in lakhs

1	2		7
S.No.	PARTICUALRS	Actual 2022-23	B.E. 2023-24
	RECEIPTS		
1	Interest on FDR	132.70	150.00
2	Interest on Savings	15.23	12.00
3	Misc. receipts from Sale of publication, Registration & other fees etc.	1.43	3.00
	Total	**149.36**	**165.00**
	EXPENDITURE		
	A – Academic		
1	Honorarium and Assistance to Old aged/Handicapped Veda Pandits	14.66	30.00
2	TA/DA	0.46	10.00
3	Foundation Day & Other Programmes	-	10.00
4	Promotional Programmes on Vedas - Sammelans/ Seminars/ Workshops/ Veda Gyan Saptah/Veda Sandesh Yatra/ Vedic Medicinal Plants/ Swar Prakriya etc.	4.07	60.00
	Vedic Classes for All/ Workshop on Vedic Mathematics/ Correspondence Course, Refresher Course, Computer Training, Veda Recitation and Quality Improvement Training	0.78	10.00
	Total (A)	**19.97**	**120.00**
1	**B – Administrative**		
	Salary	13.17	20.00
	Office Expenses and other Contingencies	17.43	25.00
	Total (B)	**30.60**	**45.00**
	GRAND TOTAL (A+B)	**50.57**	**165.00**

Secretary

MSRVVP, UJJAIN

Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain

Annexure-III

Last five years Budget Allocation and Expenditure

(Rs. In Lakhs)

		Opening Bal.	Allocation	Funds Received	OP+Rec.-unsp.	Expenditure	Unspent
2020-21	GIA(Gen)	270.98	4700	4259	3184.61	3184.61	1345.37
	GIA(Salary)	0	195	169	169	169	0
	GIA(Capital)	199.5	250	0	199.09	199.09	0.41
	GIA(NER)	0	230	170.6	163.57	163.57	7.03
	GIA(NER Capital)	0	0	0	0	0	0
	GIA(NER Salary)	0	0	0	0	0	0
	Total	**470.48**	**5375**	**4598.6**	**3716.27**	**3716.27**	**1352.81**
		Opening Bal.	Allocation	Funds Received	OP+Rec.-unsp.	Expenditure	Unspent
2021-22	GIA(Gen)	1345.37	3700	2850	3954.82	3954.82	240.55
	GIA(Salary)	0	200	165	158.74	158.74	6.26
	GIA(Capital)	0.41	600	560	462.32	462.32	98.09
	GIA(NER)	7.03	250	187.5	193.35	193.35	1.18
	GIA(NER Capital)	0	0	0	0	0	0
	GIA(NER Salary)	0	0	0	0	0	0
	Total	**1352.81**	**4750**	**3762.5**	**4769.23**	**4769.23**	**346.08**
		Opening Bal.	Allocation	Funds Received	OP+Rec.-unsp.	Expenditure	Unspent
2022-23	GIA(Gen)	0	5980	5588	5493.87	5493.87	94.13
	GIA(Salary)	0	299	178	178	178	0
	GIA(Capital)	0	2321	2297	193.85	193.85	2103.15
	GIA(NER)	0	408	342	331.56	331.56	10.44
	GIA(NER Capital)	0	650	0	0	0	0
	GIA(NER Salary)	0	400	0	0	0	0
	Total	**0**	**10058**	**8405**	**6197.28**	**6197.28**	**2207.72**
		Opening Bal.	Allocation	Funds Received	OP+Rec.-unsp.	Expenditure	Unspent
2023-24	GIA(Gen)	0	7900	7618.94	7545.85	7545.85	73.09
	GIA(Salary)	0	400	400.07	400.07	400.07	0
	GIA(Capital)	0	3800	3659.965	3659.643	3659.643	0.322
	GIA(NER)	0	400	460	459.01	459.01	0.99
	GIA(NER Capital)	0	860	152.69	115.46	115.46	37.23
	GIA(NER Salary)	0	390	0	0	0	0
	Total	**0**	**13750**	**12291.665**	**12180.033**	**12180.033**	**111.632**

		Opening Bal.	Allocation	Funds Received up to 06.03.2025	OP+Rec.-unsp.	Expenditure up to 06.03.2025	Unspent up to 06.03.2025
2024-25	GIA(Gen)	0	8294	8199.12	6911.76	6911.76	1287.36
	GIA(Salary)	0	587	348	319.56	319.56	28.44
	GIA(Capital)	0	4380	2195.69	2156.25	2156.25	39.44
	GIA(NER)	0	585	518.92	446.38	446.38	72.54
	GIA(NER Capital)	0	871	0	0	0	0
	GIA(NER Salary)	0	379	0	0	0	0
	Total	**0**	**15096**	**11261.73**	**9833.95**	**9833.95**	**1427.78**

प्रतिष्ठान द्वारा संचालित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों में संविदा पर सेवारत वेद एवं आधुनिक विषय अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता विवरण

(1) वेद अध्यापक

वेद /शाखा	क्र.सं	नाम	शैक्षणिक योग्यता
ऋग्वेद शाकल शाखा	1	पं० सत्यम् शुक्ल	परम्परागत ऋग्वेदाध्ययन, वेद विभूषण (मूलान्त) (मसारावेविप्र), ऋग्वेद क्रमान्त(शास्त्री), ऋग्वेद सलक्षण घनान्त (आचार्य), UGC NET
	2	पं० चिदानन्द शास्त्री	परम्परागत ऋग्वेदाध्ययन, मूलान्त अध्ययन – स्वर्णवल्ली, ऋग्वेद क्रमान्त अध्ययन (BA), ऋग्वेद पारम्परिक क्रम से घनान्त अध्ययन (स्वर्णवल्ली), ऋग्वेद सलक्षण घनान्त अध्ययन (MA), UGC NET
	3	पं० उमाकान्त सामन्त	ऋग्वेद पारम्परिक अध्ययन संहिता क्रमान्त, शास्त्री (ऋग्वेद), आचार्य (ऋग्वेद)
	4	पं० मयूर मधुकरराव जोशी	ऋग्वेद पारम्परिक अध्ययन क्रमान्त (काञ्चीपुरम् एवं मैसूरु)
शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा	1	पं० सौरभ बण्डोपन्त शास्त्री	शुक्ल यजुर्वेद काण्व पारम्परिक अध्ययन क्रमान्त (श्रृङ्गेरी, मैसूरु, पुणे), शुक्ल यजुर्वेद काण्व पारम्परिक अध्ययन घनान्त (श्रृङ्गेरी, पुणे), डिप्लोमा - वेदविद्या
	2	पं० आनन्द रत्नाकर जोशी	शुक्ल यजुर्वेद काण्व पारम्परिक अध्ययन क्रमान्त (श्रृङ्गेरी, काञ्ची, मैसूरु, पुणे), शुक्ल यजुर्वेद काण्व पारम्परिक अध्ययन घनान्त (काञ्ची, मैसूरु, पुणे)

	3	पं० पंकज सन्तोषराव सराफ	शुक्ल यजुर्वेद काण्व पारम्परिक अध्ययन क्रमान्त (मैसूरु, राजमन्ड्री, पुणे वेद शास्त्रोत्तेजक सभा, पुणे सहस्रबुद्धे मठ), शुक्ल यजुर्वेद काण्व पारम्परिक अध्ययन क्रमान्त (मैसूरु, राजमण्ड्री, पुणे वेद शास्त्रोत्तेजक सभा, पुणे सहस्रबुद्धे मठ), डिप्लोमा - वेदविद्या
	4	डॉ० विष्णुदास देशपाण्डे	वेद विभूषण(मूलान्त)(मसारावेविप्र), शुक्ल यजुर्वेद काण्व पारम्परिक अध्ययन क्रमान्त (मैसूरु, श्रृङ्गेरी, काञ्चीपुरम्, शंसाबाद जियरस्वामीमठ, विजयवाडा, तेलंगाना, माणिकनगर, धर्मगिरि, पुणे वेद शास्त्रोत्तेजक सभा, पुणे सहस्रबुद्धे मठ), शुक्ल यजुर्वेद काण्व पारम्परिक अध्ययन घनान्त (श्रृङ्गेरी, तेलंगाना, पुणे वेद शास्त्रोत्तेजक सभा, पुणे सहस्रबुद्धे मठ), आचार्य (सलक्षण घनान्त), विशिष्टाचार्य, पीएच्.डी.
शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा	1	पं० राकेश शर्मा	पारम्परिक शुक्लयजुर्वेदाध्ययन, वेद विभूषण(मूलान्त)(मसारावेविप्र), क्रमान्त, शास्त्री (शु.या.माध्यान्दिन शाखा), आचार्य (एम.ए.)
	2	पं० आनन्द सुरेशराव जोशी	शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन पारम्परिक अध्ययन क्रमान्त (मैसूरु, श्रृङ्गेरी, पुणे वेद शास्त्रोत्तेजक सभा, पुणे सहस्रबुद्धे मठ), शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन पारम्परिक अध्ययन क्रमान्त (मैसूरु, राजमन्ड्री, पुणे वेद शास्त्रोत्तेजक सभा, पुणे सहस्रबुद्धे मठ), BA (समाजशास्त्र)
कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा	1	पं० यादवेश शर्मा	मूलान्त (मैसूरु), कृष्णयजुर्वेद पारम्परिक अध्ययन क्रमान्त(काञ्चीपुरम्), कृष्णयजुर्वेद पारम्परिक अध्ययन घनान्त(काञ्चीपुरम्), आचार्य (एम.ए.) (सलक्षण-घनान्त)

सामवेद राणायनीय शाखा	1	पं० दत्तदास रघुनाथ शेवड़े	वेद विभूषण (मूलान्त), सामवेद पारम्परिक अध्ययन रहस्यान्त(मैसूरु, श्रृङ्गेरी, पुणे वेद शास्त्रोत्तेजक सभा, पुणे सहस्त्रबुद्धे मठ, वादिराजमठ सोंदा)
सामवेद कौथुम शाखा	1	पं० सौरव नौटियाल	वेद विभूषण(मूलान्त), शास्त्री (सामवेद), एम.ए., यू.जी.सी. (नेट), परम्परागत सामवेद कौथुम (रहस्यान्त) अध्ययन
	2	डॉ० जयप्रकाश द्विवेदी	काशी में वेद विद्यालय में पारम्परिक वेदाध्ययन, सामवेद कौथुम शाखा में परम्परागत सलक्षण -रहस्यान्त, सामवेदाचार्य -पी.एच.डी.
	3	पं० अश्विनी कुमार मिश्र	पारम्परिक सामवेदाध्ययन, वेद विभूषण(मूलान्त), शास्त्री सामवेद रहस्यान्त, आचार्य सामवेदलक्षण
	4	पं० जितेन्द्र दाश	पारम्परिक रूप से सामवेद कौथुम शाखा - रहस्यान्त अध्ययन, वेद आचार्य
अथर्ववेद पैप्पलाद शाखा	1	पं० प्रणव कुमार पण्डा	परम्परागत क्रम में पैप्पलाद शाखा अध्ययन, एम.ए.(संस्कृत)
अथर्ववेद शौनक शाखा	1	डॉ० मिथिलेश कुमार पाण्डेय	अथर्ववेद - पारम्परिक अध्ययन, आचार्य (एम.ए.), पी.एचडी., बी.एड.
	2	पं० गंगाधर पण्डा	परम्परागत क्रम में अथर्ववेदाध्ययन आचार्य (अथर्ववेद एवं यजुर्वेद,)

(2) आधुनिक विषय अध्यापक

विषय	क्र.सं.	अध्यापक का नाम	शैक्षणिक योग्यता
गणित	1	श्री आयुष शुक्ला	बी.एससी., एम.एससी. (गणित), बी.एड., आचार्य (सिद्धान्त ज्योतिष), डिप्लोमा (वैदिक गणित, भारतीय गणित)
अंग्रेजी	1	श्रीमती मोनालिसा पाठक	बी.एससी. (कम्प्यूटर साइंस), एम.ए. (अंग्रेजी साहित्य), बी.एड., पी.जी.डी.सी.ए.
सामाजिक विज्ञान	1	डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी	एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान), बी.एड., पी-एचडी.
विज्ञान	1	श्री त्रिभुवन शर्मा	बी.एससी., एम.एससी., बी.एड., सी.टेट, पी.जी.डी.सी.ए.
योग	1	श्री अभिजीत राजपूत	बी.एससी., एम.ए. (योग), पी.जी. डिप्लोमा इन योग एजुकेशन